

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462016

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी, 2006

क्र.-37-मप्रविनिआ-2006, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 (1) (आई), विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 9 (जे), वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कृत्यों के निर्वहन में तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता को मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के एक भाग के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता
(जी-29 का 2006)
खण्ड-1 –सामान्य

धारा 1 : परिचय

1.1 परिचय

1.1.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 एवं मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 के अंतर्गत उनके कृत्यों के निर्वहन में एतद् द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी (माने गये अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित कर) द्वारा अनुसरण की जाने वाली "वितरण संहिता" को विनिर्दिष्ट करता है। यह वितरण संहिता मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित होने की दिनांक से लागू होगी एवं सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।

1.1.2 किसी राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके उसके द्वारा किये जाने वाले कृत्यों के निर्वहन में से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता तथा विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को विनिर्दिष्ट करना तथा उन्हें लागू करने संबंधी उत्तरदायित्व का उल्लेख भी है। वितरण संहिता, आधार नियमों एवं प्रक्रियाओं का एक ऐसा ढांचा तैयार किये जाने संबंधी प्रयास है जो अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में उसकी वितरण प्रणालियों के प्रचालन, संधारण, विकास, संयोजी तथा उपयोग के समस्त तकनीकी पहलुओं का नियंत्रण करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी सेवा गुणवत्ता के मानकों का अनुसरण करेगा तथा मध्यप्रदेश ग्रिड संहिता के उपबंधों के साथ-साथ वितरण संहिता के उपबंधों का परिपालन भी सुनिश्चित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि समस्त उपभोक्ताओं तथा उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय, मितव्ययी तथा निरंतर सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रदाय प्रणाली दक्षतापूर्वक प्रचालित हो सके।

1.1.3 वितरण संहिता ऐसे सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट करती है तथापि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इकसी विस्तृत प्रक्रिया को विकसित किया जावेगा तथा इसका अनुसरण किया जावेगा।

1.2 वितरण संहिता की संरचना

1.2.1 वितरण संहिता को निम्न चार भागों में विभाजित किया गया है :

(i) खण्ड 1 : सामान्य संहिता

धारा 1 : परिचय

धारा 2 : परिभाषाएं एवं शब्दावली

- धारा 3 : सामान्य शर्तें
धारा 4 : वितरण संहिता का प्रबंधन
- (ii) **खण्ड 2 : वितरण नियोजन एवं संयोजन संहिता**
धारा 5 : वितरण संयोजन संहिता
धारा 6 : वितरण संयोजन शर्तें
- (iii) **खण्ड 3 : वितरण प्रचालन संहिता**
धारा 7 : वितरण प्रचालन नियोजन
धारा 8 : सीमा पार सुरक्षा
धारा 9 : प्रचालन की घटना तथा दुर्घटना को प्रतिवेदित करना
- (iv) **खण्ड 4 : वितरण मीटरिंग (मापयंत्रण) तथा सुरक्षा संहिता,**
धारा 10 : वितरण मीटरिंग (मापयंत्रण) संहिता
धारा 11 : वितरण सुरक्षा संहिता

धारा 2 : परिभाषाएं एवं शब्दावली

2.1 परिभाषाएं

शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस संहिता में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं वही अर्थ रखेंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विरचित नियमों एवं विनियमों में परिभाषित हैं।

अधिनियम

विद्युत अधिनियम 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 2003 का क्रमांक 36)

अनुबंध

अनुबंध से अभिप्रेत है अपने व्याकरण की विविधताओं और सामान्य अभिव्यक्तियों का अनुबंध जो अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता या उपयोगकर्ता के बीच किया गया हो।

यंत्र

विद्युत यंत्र जिसमें सम्मिलित है समस्त मशीनें, फिटिंग, उपसाधन, उपकरण जिनमें संवाहकों का उपयोग हो।

प्रदाय का क्षेत्र

प्रदाय का क्षेत्र से अभिप्रेत है वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके अन्दर एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु प्राधिकृत है।

प्रदाय अवरुद्ध होना (ब्रेक डाऊन)

प्रदाय अवरुद्ध होने से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा प्रणाली, उपस्कर या अन्य विद्युत लाईन संबंधी घटना जिससे सामान्य विद्युत प्रदाय प्रक्रिया रूक गई हो।

संहिता

से अभिप्रेत है 'वितरण संहिता' जैसा कि वह समय-समय पर प्रभावशील है।

सिविल आकस्मिकता—

सिविल आकस्मिकता से अभिप्रेत है कोई राष्ट्रीय आपदा या अन्य आकस्मिकता जिसे राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है जिससे विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध होने की संभावना है।

संयोग कारक (कोइन्सीडेंस फैक्टर)

यह भार समूह के संयुक्त शीर्ष मांग का वैयक्तिक भार से शीर्ष (पीक) मांगों के योग का अनुपात है।

आयोग

आयोग से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 82 की उपधारा (2) एवं अध्याय 2 के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

संवाहक (कंडक्टर)

संवाहक से अभिप्रेत है कोई तार, केबल, बार, ट्यूब विद्युत शक्ति के संवाहन के उपयोग लाई जाने वाली रेल या प्लेट जो इस प्रकार से व्यवस्थित की गई है ताकि प्रणाली से विद्युत संयोजन हो जावे।

संयोजन बिन्दु/अर्न्तसंयोजन

संयोजन बिन्दु से अभिप्रेत है वह बिन्दु जिस पर उपयोगकर्ता का संयंत्र या उपस्कर या उपभोक्ता का अधिष्ठापन अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली जुड़ा हुआ हो।

उपभोक्ता

उपभोक्ता से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके उपयोग हेतु किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो अधिनियम के अंतर्गत अथवा विद्यमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत आम जनता को विद्युत प्रदाय के व्यवसाय में लगा हो, द्वारा विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो तथा इनमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसका परिसर विद्युत प्राप्ति हेतु विद्यमान में किसी अनुज्ञप्तिधारी, सरकार अथवा अन्य कोई व्यक्ति के कार्यों से, जैसा लागू हो सम्प्रति संयोजित हो तथा इसमें वह उपभोक्ता भी सम्मिलित होगा जिसका अधिष्ठापन अस्थायी रूप से असंयोजित कर दिया गया हो।

केप्टिव शक्ति संयंत्र/केप्टिव पॉवर प्लांट(सीपीपी)

ग्रिड संहिता के प्रयोजन से, एक पॉवर स्टेशन है जो केप्टिव मांग की आपूर्ति हेतु प्राथमिक तौर पर प्रचालित किया रहा हो तथा राज्य पारेषण प्रणाली से संयोजित किया गया हो तथा सामान्य परिस्थितियों में ग्रिड को विद्युत प्रदाय न कर रहा हो।

पदांकित प्राधिकारी

अनुज्ञप्तिधारी के पदांकित प्राधिकारी से अभिप्रेत है एक प्राधिकारी, जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विधि द्वारा संहिता के विशिष्ट उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुपालन किये जाने बाबत तदानुसार अधिसूचित किया गया हो।

वितरण प्रणाली

वितरण प्रणाली से अभिप्रेत है पारेषण लाइनों अथवा उत्पादन स्टेशन संयोजन पर वितरण बिन्दुओं तथा संयोजन बिन्दु से उपभोक्ताओं के अधिष्ठापन तक के मध्य तारों तथा संबंधित सुविधाओं की एक प्रणाली। मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में, इसमें पारेषण प्रणाली का कोई भी भाग, सिवाय उपभोक्ता छोर पर संयोजित टर्मिनल उपस्कर (मापयंत्र प्रणाली, सीटी, पीटी,) जिसका अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (66 केवी तथा उससे अधिक) उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु उपयोग किया जा रहा हो, सम्मिलित न होगा।

भिन्नता कारक (डायवर्सिटी फेक्टर)

यह वैयक्तिक भारों की शीर्ष (पीक) मांग के योग से भारों के समूह के संयोजित शीर्ष (पीक) मांग का अनुपात है।

वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेशन कन्ट्रोल सेटर—डी एसओसीसी)

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र जिनमें पर्याप्त संसूचना सुविधाओं के साथ-साथ पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आंकड़ा एकत्रीकरण (सुपरवाईजरी कन्ट्रोल एण्ड डैटा एक्वीजिशन-स्काडा) सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज से अभिप्रेत है भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय प्रतिशत परिवर्तनों के अध्यक्षीन वोल्टेज जो सामान्य परिस्थितियों में 33000 वोल्ट से अधिक है।

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ता

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ता से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रणाली से अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी का एक उपभोक्ता है।

ग्रिड संहिता

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (एच) की निबंधन तथा शर्तों के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया सिद्धांतों तथा मार्गदर्शन का एक सेट।

उत्पादन कंपनी

उत्पादन कंपनी से अभिप्रेत है, कोई कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा संघ अथवा वैयक्तिक निकाय निगमित अथवा अनिगमित अथवा कृत्रिम विधि-पुरुष जो कतिपय उत्पादन स्टेशन का स्वामित्व रखे अथवा उसे प्रचालित या संधारित करे।

उच्च वोल्टेज

उच्च वोल्टेज से अभिप्रेत है भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय प्रतिशत परिवर्तनों के अध्यक्षीन वोल्टेज जो सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट से अधिक परन्तु 33000 वोल्ट से अनाधिक हो।

उच्च वोल्टेज उपभोक्ता

उच्च वोल्टेज उपभोक्ता से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण प्रणाली से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। उच्च वोल्टेज उपभोक्ता वितरण प्रणाली का एक उपभोक्ता है।

स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (इण्डिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर)

स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक राज्य में स्थित एक स्वतंत्र पावर स्टेशन है जिसका स्वामी एक ऐसा उत्पादक है जो मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, राज्य पारेषण इकाई अथवा केन्द्र सेक्टर उत्पादन का भाग नहीं है तथा जिसे कॅप्टिव पावर उत्पादक के रूप में भी श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता हो।

अनुज्ञप्तिधारी

“अनुज्ञप्तिधारी” से अभिप्रेत है, एक स्वतंत्र इकाई जिसे वितरण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है अथवा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के प्रथम एवं पंचम उपबंधों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी माना गया हो ;

अनुज्ञप्ति प्राप्त संविदाकार

अनुज्ञप्ति-प्राप्त संविदाकार से अभिप्रेत है एक संविदाकार जिसे भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 18 एवं 45 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

भार कारक (लोड फैक्टर)

प्रणाली भार कारक से अभिप्रेत है किसी विनिर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत औसत भार तथा शीर्ष (पीक) भार का अनुपात। किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता श्रेणी हेतु किसी दी गई अवधि में कुल युनिटों की खपत का अनुपात उन कुल युनिटों की खपत से है यदि उक्त अवधि में निरंतर वही भार संधारित किया जाता तथा इसे प्रायः प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात :

किसी दी गई अवधि में वास्तविक रूप से खपत की गई
युनिटों की संख्या

भार कारक, प्रतिशत में =-----X 100

*भार किलोवाट में X किसी दी गई अवधि में
कुल घंटों की संख्या

- * टीप :- भार से अभिप्रेत है, निम्न दाब अधिष्ठापन हेतु, अनुमोदित भार किलोवाट में तथा उच्चदाब अधिष्ठापन के संबंध में अनुबंध मांग किलोवाट में।

निम्न वोल्टेज

निम्न वोल्टेज से अभिप्रेत है भारतीय विद्युत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय प्रतिशत परिवर्तनों के अध्यक्षीन वोल्टेज जो सामान्य परिस्थितियों में फेज तथा तटस्थ (न्यूट्रल) के मध्य 250 वोल्ट से अधिक न हो।

निम्न वोल्टेज उपभोक्ता

निम्न वोल्टेज उपभोक्ता से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण प्रणाली से निम्न वोल्टेज पर व्यवस्था की जा रही है। निम्न वोल्टेज उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी का एक उपभोक्ता है।

एम पी पी जी सी एल

मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

श्रेणी विहीन टैरिफ उपभोक्ता (नॉन टैरिफ कंस्यूमर)

श्रेणी विहीन टैरिफ उपभोक्ता से अभिप्रेत है एक ऐसा उपभोक्ता जो विशेष अनुबंध के निबंधनों के अंतर्गत विद्युत क्रय करता हो तथा विद्युत ग्रिड संहिता और/या वितरण संहिता के अध्यक्षीन किसी अनुज्ञप्ति के कारण अथवा वितरण कंपनी (अनुज्ञप्तिधारी) से किसी अनुबंध के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार के सामर्थ्य में परस्पर सहमति द्वारा किया गया हो।

अधिवासी

अधिवासी से अभिप्रेत है ऐसे परिसर का स्वामी या व्यक्ति जो उसके विधिक कब्जे में हो जहाँ पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा हो अथवा उसका उपयोग प्रस्तावित हो।

प्रचालक (ऑपरेटर)

प्रचालक से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित एक उत्पादन संयंत्र का या तो स्वामी हो या उसे प्रचालित कर रहा हो अथवा अधिनियम की धारा 160 (1) के अंतर्गत एक अनुज्ञप्ति का धारक हो।

प्रचालनीय सीमा

प्रचालनीय सीमा से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालित किये जा रहे यंत्र एवं उपकरण एवं अन्य उपयोगकर्ता के मध्य एक भौतिक सीमा।

निष्पादन मानक

निष्पादन मानकों से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के साथ पठित धारा 57(1) के अंतर्गत उल्लिखित निष्पादन मानक।

प्राथमिक (प्राइमरी) वितरण प्रणाली

प्राथमिक वितरण प्रणाली से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक प्रणाली जिसमें सम्मिलित हैं, केबल्स, सेवा लाईनें, शिरोपरि लाईनें तथा मापयंत्र उपस्कर जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं को विद्युत परिवहन हेतु 22 केवी एवं 11 केवी के प्रचालित वोल्टेज पर कार्यरत है।

नियम

भारतीय विद्युत नियम 1956 अथवा जैसा कि वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा (अधिसूचित) संरचित किये जावेंगे।

सुरक्षा प्रबंधन

सुरक्षा प्रबंधन से अभिप्रेत है किसी अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जिससे उसकी प्रणाली का सुरक्षित प्रचालन तथा उस प्रणाली पर कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षा प्रक्रिया

सुरक्षा प्रक्रिया से अभिप्रेत है सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया।

द्वितीयक वितरण प्रणाली

द्वितीयक वितरण प्रणाली से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक प्रणाली जिसमें सम्मिलित है सेवा लाईनें तथा शिरोपरि लाईनें जो 400 वोल्ट की प्रचालित वोल्टेज पर 11/04 केवी वितरण ट्रांसफार्मरों से उपभोक्ताओं के सेवा प्रसंवाही(मेंस) तक विद्युत परिवहन हेतु कार्यरत हैं।

उप-पारेषण प्रणाली

उप-पारेषण प्रणाली से अभिप्रेत है सम्पूर्ण ऊर्जा प्रणाली की पारेषण प्रणाली एवं प्राथमिक वितरण प्रणाली के मध्य एक अर्न्तवर्ती (इन्टरमीडियेट) प्रणाली जिसमें सम्मिलित हैं उच्च वोल्टेज विद्युत लाईनें जो उच्च वोल्टेज पर प्रचालित हो रही हैं (उत्पादक अर्न्तसंयोजन सुविधाएं असम्मिलित कर) तथा एक उपकेन्द्र से किसी अन्य उपकेन्द्र तक विद्युत वितरण के प्रयोजन से अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में और/या प्रचालित हो रहा हो अथवा किसी बाह्य अर्न्तसंयोजन उपस्कर से वितरण प्रणाली तक अर्न्तसंयोजन हेतु तथा कोई संयंत्र तथा मापयंत्र जो अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में अथवा उसके द्वारा प्रचालित किया जा रहा हो।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी)

राज्य भार प्रेषण केन्द्र अर्थात् एस एल डी सी (स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर) से अभिप्रेत है वह केन्द्र जिसे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा (31) की उपधारा (1) के उपबंध के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

राज्य पारेषण इकाई (एसटीयू)

अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से विनिर्दिष्ट मण्डल (बोर्ड) अथवा कोई शासकीय कंपनी।

पारेषण अनुज्ञप्ति

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के साथ-साथ मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 5 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य पारेषण इकाई को स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञप्ति।

पारेषण प्रणाली

यह राज्य पारेषण इकाई अथवा किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत पारेषण के प्रयोजन से प्रचालित और/या संधारित पावर स्टेशनों, बाह्य अर्न्तसंयोजन एवं वितरण प्रणाली की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनों तथा विद्युत उपस्करों से युक्त प्रणाली है।

उपयोगकर्ता

एक व्यक्ति जिसमें मध्यप्रदेश राज्य का उत्पादक भी सम्मिलित है तथा जो उसी प्रदाय क्षेत्र में वितरण प्रणाली, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा अन्य किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से सीधे संयोजित हो। उपयोगकर्ता से अभिप्रेत एक ऐसे उपभोक्ता से भी होगा जो वितरण प्रणाली से संयोजित हो तथा इनमें सम्मिलित होंगे पारेषण अथवा वितरण प्रणाली से खुली पहुंच प्राप्त करने वाले उपभोक्ता जो वितरण संहिता के उपबंधों के परिपालन हेतु बाध्य होंगे।

वर्ष

वर्ष से अभिप्रेत एक वित्तीय वर्ष से है जो अप्रैल माह की प्रथम तिथि से प्रारंभ होगा।

धारा 3 : सामान्य शर्तें

3.1 विस्तार

3.1.1 वितरण संहिता अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ताओं एवं अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के समस्त उपयोगकर्ताओं को, जब तक कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस बाबत लिखित में कोई छूट प्रदान न की गई हो, लागू होगी।

3.2 व्याख्या

3.2.1 यह संहिता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके प्रदाय क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा के वितरण के संबंध में एक-समान नीति विनिर्दिष्ट करती है। सुसंगत अधिनियम, नियम, आयोग के आदेश, विनियम तथा दिशा-निर्देश, तथापि प्रभावशील रहेंगे।

3.2.2 वितरण संहिता में कतिपय शब्दों का अभिप्रेत धारा 2 : “परिभाषाएं एवं शब्दावली” में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होगा।

3.2.3 इस संहिता की धारा 2 को इस अवधारणा के आधार पर विकसित किया गया है कि अभिस्वीकृत अभियांत्रिकी शब्दों को अतिरिक्त परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं है।

3.2.4 शब्द “वितरण संहिता” से अभिप्रेत है इस अभिलेख का कोई भी या इसका सम्पूर्ण भाग।

3.3 वितरण संहिता के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व

3.3.1 वितरण संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी जानकारी पर आश्रित रहना होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा उनकी आवश्यकताओं और आशय के संबंध में उसे प्रदान की जाती हो।

3.3.2 कोई अनुज्ञप्तिधारी और उपयोगकर्ता ऐसा युक्तियुक्त सहयोग तथा सहायता जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हो, प्रदान करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी जानकारी के आधार पर लिये गये युक्तियुक्त एवं विवेक से लिये गये निर्णयों से उद्भूत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जावेगा।

3.4 भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता तथा भारतीय विद्युत नियमों के साथ अनुरूपता

3.4.1 इस वितरण संहिता को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई.ई. जी.सी.), मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 से सुसंगत/के अनुरूप रहे।

3.5 अननुपालन

3.5.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन योजना के अनुसार वितरण संहिता के उपबंधों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

3.5.2 समस्त उपयोगकर्ताओं को आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण संहिता के उपबंधों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। यदि कोई उपयोगकर्ता वितरण संहिता के उपबंधों में से किसी के अनुपालन में असमर्थ रहे तो ऐसी दशा में उपयोगकर्ता अविलंब प्रकरण को अनुज्ञप्तिधारी और/या आयोग को, यथा स्थिति निर्दिष्ट करेगा।

3.5.3 संहिता के किसी भी उपबंध का परिपालन न किये जाने पर उसे आयोग की जानकारी में लाया जावेगा। आयोग अनुज्ञप्तिधारी को किसी उपधारा का परिपालन न किये जाने हेतु एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संसाधनों की उपलब्धता तथा विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए

छूट दे सकेगा यदि यह पाया जावे कि उक्त विशिष्ट समय पर इसका परिपालन किया जाना संभव नहीं है। तथापि, बारंबार अननुपालन किये जाने पर आयोग द्वारा उसपर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा जिस पर आगे आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

3.6 गोपनीयता

- 3.6.1 वितरण संहिता के निबंधनों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ताओं से उनके व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
- 3.6.2 अनुज्ञप्तिधारी, जब तक वितरण संहिता की अर्हता न हो, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जानकारी, उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना उसे प्रकट नहीं करेगा।

3.7 अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ताओं के मध्य संसूचना/संप्रेषण

अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ताओं के मध्य समस्त संसूचना संप्रेषण वितरण संहिता की सुसंगत धारा के उपबंधों के अनुसार किया जावेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त पदांकित नोडल अधिकारी को संबोधित किया जावेगा।

जब तक कि अन्यथा संहिता में विनिर्दिष्ट न हो, समस्त संसूचना संप्रेषण लिखित में किया जावेगा, सिवाए ऐसी परिस्थितियों में जहाँ प्रचालन समयबद्ध मौखिक संप्रेषण द्वारा अनिवार्य हो तथा इस संसूचना संप्रेषण की यथा संभव शीघ्र-अति-शीघ्र लिखित में अभिपुष्टि की जावेगी।

3.8 विवादों का निपटारा

किसी उपयोगकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य वितरण संहिता के किन्हीं विनियमों की व्याख्या में किसी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में, प्रकरण का पक्षकारों द्वारा आपस में निपटारा किया जावेगा अथवा इसे आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। आयोग इस बाबत अंतिम मध्यस्थ होगा जिसका निर्णय दोनों पक्षकारों को अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

धारा 4 : वितरण संहिता का प्रबंधन

- 4.1.1 अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता की तथा इसके क्रियान्वयन की नियतकालिक समीक्षा करेगा। इस प्रयोजन से एक वितरण संहिता समीक्षा दल (पेनल), जिसे इसमें इसके पश्चात दल कहा जायेगा, संस्थापित किया जावेगा। इस दल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- (अ) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी से एक-एक सदस्य जिसका पद मुख्य अभियंता से कम का पद न होगा। वह अधिमान्यतः ग्रिड संहिता समीक्षा समिति का सदस्य भी होगा ;
- (ब) राज्य पारेषण इकाई से एक सदस्य जिसका पद मुख्य अभियंता पद से कम का पद न होगा। वह अधिमान्यतः ग्रिड संहिता समीक्षा समिति का सदस्य भी होगा ;
- (स) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा नामांकित एक सदस्य जो वितरण संहिता समीक्षा दल का संयोजक भी होगा; तथा
- (द) मध्यप्रदेश राज्य के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज/उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं में से एक सदस्य जो ऐसे समस्त उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करेगा।

- 4.1.2 इस दल की बैठक छः माह में कम से कम एक बार होगी।

- 4.1.3 यह दल निम्न कृत्यों का परिपालन करेगा :
- (अ) संहिता तथा संबद्ध मानकों तथा उनके क्रियान्वयन की नियतकालिक समीक्षा।
- (ब) इस संहिता के संशोधनों हेतु प्राप्त समस्त सुझावों की समीक्षा।
- (स) एक समयबद्ध क्रियान्वयन योजना तैयार करना।
- 4.1.4 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वितरण संहिता समीक्षा दल का गठन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की अनुशंसा के आधार पर किया जावेगा। आयोग उसके अधिकारियों में से किसी एक को वितरण संहिता समीक्षा दल का संयोजक मनोनीत करेगा। दल का संयोजक बैठकें समय पर आयोजित किये जाने के संबंध में उत्तरदायी होगा। समीक्षा दल की बैठकें आयोग के कार्यालय में आयोजित की जावेंगी। दल को सचिवालयीन सहायता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जावेगी।
- अनुज्ञप्तिधारी समस्त उपयोगकर्ताओं को दल के सदस्यों के नामों एवं उनके पतों से दल गठित होने के 15 दिवस के अंदर अवगत करावेंगे तथा उन्हें अनुवर्ती किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में लिखित में सूचित करेंगे।
- 4.1.5 प्रत्येक समीक्षा के पश्चात्, दल का अध्ययन आयोग को संहिता के संशोधन हेतु प्राप्त किये गये प्रस्तावों का विवरण तथा इस हेतु दल द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति अथवा प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने संबंधी औचित्य सम्मिलित होंगे।
- 4.1.6 इस धारा के आगामी पैरा की शर्तों के अधधीन, संहिता में किये जाने वाले समस्त संशोधन वितरण संहिता समीक्षा दल की बैठक में मतैक्य के आधार पर सदस्यों के बहुमत अनुसार संशोधन के पक्ष में मतांकन द्वारा किये जा सकेंगे। किसी प्रस्ताव पर मतैक्य न होने की दशा में, प्रकरण को आयोग के निर्णयार्थ निर्दिष्ट किया जावेगा। वितरण संहिता में प्रस्तावित समस्त संशोधन आयोग द्वारा अनुमोदित किये जावेंगे।
- 4.1.7 किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में जहां सामान्य दिन-प्रतिदिन का प्रचालन, वितरण संहिता के कतिपय भाग(ों) में संशोधन के बिना संभव न हो पाये, एक प्रावधिक संशोधन का क्रियान्वयन, आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में परन्तु वितरण संहिता समीक्षा दल द्वारा केवल आपात आधार पर संयोजित बैठक में चर्चा के आधार पर किया जा सकेगा। आयोग को शीघ्र-अति-शीघ्र प्रावधिक संशोधन के संबंध में अभिलिखित संसूचना द्वारा उक्त निर्णय के 15 दिवस के भीतर अवगत कराया जावेगा।
- 4.1.8 वितरण संहिता समीक्षा दल द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन/संशोधन गिड संहिता के सुसंगत/अनुरूप होंगे।
- 4.1.9 आयोग ऐसे दिशा-निर्देशों को जारी कर सकेगा जो अनुज्ञप्तिधारी से वितरण संहिता को पुनरीक्षित, सम्पूरक अथवा प्रतिस्थापन करने की अपेक्षा रखता है जैसा कि दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे दिशा-निर्देशों का तत्काल अनुपालन करना होगा।

खण्ड 2 – वितरण नियोजन एवं संयोजन

धारा 5 – वितरण नियोजन

5.1 परिचय

- 5.1.1 वितरण नियोजन के अंतर्गत वितरण प्रणाली के साथ-साथ उप-पारेषण प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले तकनीकी व रूपांकन मानदण्ड तथा प्रक्रियाएँ आती हैं तथा यह समयबद्ध आंकड़ों के आदान प्रदान की समयबद्ध व्यवस्था करता है।

5.1.2 वितरण नियोजन अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली उपयोगकर्ताओं को भी उनकी प्रणालियों के नियोजन तथा विकास में लागू होता है जहां तक कि ये अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली को प्रभावित करते हों।

5.1.3 उपरोक्त अर्हताओं की आपूर्ति की दृष्टि से अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण अथवा विस्तार हेतु निम्न स्थानों पर विभिन्न कार्य अर्तनिहित होंगे :

- (i) एक उपयोगकर्ता की प्रणाली तथा अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के मध्य एक संयोजन बिन्दु पर।
- (ii) वितरण प्रणाली पर अथवा अन्य सुविधाओं पर जो कनेक्शन बिन्दु को अनुज्ञप्तिधारी को शेष प्रणाली से जोड़ते हों।
- (iii) वितरण प्रणाली के किसी भी बिन्दु पर उपरोक्त उल्लिखित (i) तथा (ii) को छोड़कर।

5.2 उद्देश्य

वितरण नियोजन का उद्देश्य है :

- (ए) वितरण प्रणाली के नियोजन, रूपांकन तथा निर्माण को सुसंगत विद्युत अधिनियमों, नियमों, सुरक्षा मानकों, भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों, आयोग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा अन्य सुसंगत निर्माण नियमावलियों, संधारण नियमावलियों तथा मानकों के अनुरूप किये जाने हेतु समर्थ बनाना ताकि मितव्ययी, विश्वसनीय तथा सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- (बी) किसी उपयोगकर्ता द्वारा वितरण प्रणाली को उपयोग हेतु सुविधाजनक बनाना जो उससे संयोजित हो अथवा उससे संयोजन का इच्छुक हो।
- (सी) अनुज्ञप्तिधारी को भार पूर्वानुमान करने वितरण प्रणाली में भविष्य की मांग को पूर्वानुमान करने तथा निम्न दर्शाये हेतु कारणों सहित सुकर बनाना जो निम्न तक ही सीमित न होंगे :
 - (i) निम्न दर्शाये गये कारणों में से किसी एक कारण से वितरण प्रणाली के विस्तार का संयोजन करना :
 1. वितरण प्रणाली से संयोजित उपयोगकर्ता की प्रणाली में विकास किया जाना
 2. वितरण प्रणाली एवं उपयोगकर्ता प्रणाली के मध्य किसी नवीन संयोजन बिन्दु को प्रवर्तित करना
 3. वितरण प्रचालन मानकों को संधारित किये जाने की दृष्टि से प्रणाली क्षमता में अभिवृद्धि करना तथा प्रचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करना
 4. विद्यमान प्रणाली का नवीनीकरण, उन्नयन तथा आधुनिकीकरण करना
 - (ii) पारिषण अनुज्ञप्तिधारी को वितरण प्रणाली की प्रत्याशित मांग में अभिवृद्धि एवं नियोजित प्रगति से अवगत कराना ताकि वह पारिषण प्रणाली में तत्संबंधी आवश्यक विस्तार कार्य का नियोजन तथा निष्पादन कर सके।
 - (iii) दीर्घ –अवधि आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु ऊर्जा की प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) को अनुकूलतम बनाना;

(डी) अनुज्ञप्तिधारी को ग्रिड संहिता की अर्हताओं का अनुपालन किये जाने के संबंध में समर्थ बनाना तथा उन पद्धतियों की संस्थापना करना जिनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पारेषण प्रणाली के नियोजन हेतु आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण हेतु सहयोग करेगा।

5.3 नियोजन मानदण्ड एवं प्रक्रिया

- 5.3.1 अनुज्ञप्तिधारी उसकी वितरण प्रणाली का नियोजन एवं विकास निम्न दर्शाये तकनीकी एवं रूपांकन मानदण्डों का अनुपालन करते हुए निष्पादित करेगा जो प्रचलित भारतीय विद्युत नियमों, अन्य राज्यों तथा अन्य संबद्ध अधिनियमों, कानूनों एवं नियमों के सुसंगत होंगे।
- 5.3.2 वितरण प्रणाली का नियोजन एवं विकास उससे संयोजित समस्त विद्यमान उपयोगकर्ताओं तथा भविष्य में संयोजन के इच्छुक उपयोगकर्ताओं की भार आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु किया जावेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति किये जाने की दृष्टि से, वितरण प्रणाली के समस्त यंत्र तथा सर्किट पर्याप्त क्षमता के व शीर्ष भार परिस्थितियों में मितव्ययी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय रीति से संपादन की दृष्टि से विद्युत वहन करने योग्य योजना अवधि (अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार पांच वर्षीय व्यवसायिक योजना के अंतर्गत) के आगामी वर्षों हेतु होंगे।
- 5.3.3 अनुज्ञप्तिधारी का यह प्रमुख उत्तरदायित्व होगा कि वह विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं अथवा उपयोगकर्ताओं की भार आवश्यकताएं उपयुक्त विधि अनुसार निर्धारित करे तथा प्रदाय क्षेत्र हेतु ऊर्जा की मांग को वार्षिक रूप से आगामी पांच वर्षों हेतु पूर्वानुमान करेगा जिसे कि प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा। यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की नियोजन प्रक्रिया में आंतरिक योगदान के रूप में उपयोगी होगा। अनुज्ञप्तिधारियों की नियोजन प्रक्रिया का उपयोगकर्ताओं तथा राज्य पारेषण इकाई की नियोजन प्रक्रिया से समन्वयन किया जावेगा।
- 5.3.4 अनुज्ञप्तिधारी भार तथा वितरण प्रणाली हेतु ऐतिहासिक आंकड़ों का आंकड़ा आधार पूर्वानुमान तथा प्रणाली विस्तार अध्ययनों हेतु संधारित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी सावधानीपूर्वक आधुनिक पूर्वानुमान साधनों का उपयोग भार मांग का पूर्वानुमान किये जाने की दृष्टि से करेगा तथा इसके अतिरिक्त उसकी विद्युत उपभोक्ता संबंधी जानकारी को तथा उनकी विद्युत के उपयोग की समझ हेतु तथा अन्य मितव्ययी विकास सक्षम ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इस हेतु प्रयोजित करेगा।
- 5.3.5 मांग के पूर्वानुमानों हेतु प्रयोग की जाने वाली रीति अनुच्छेद 5.4 के अनुरूप होगी। अपनाई गई रीति तथा प्राप्त परिणाम आयोग से अनुमोदित कराये जावेंगे।
- 5.3.6 नियोजन के दौरान अपेक्षित सावधानी बरती जावेगी ताकि भार केन्द्र प्रदाय के एकल स्रोत पर निर्भर न रहें, विशेषतः उच्च भार घनत्व के क्षेत्र/विकट भार/अत्यावश्यक सेवाएं आदि। नेटवर्क के सामान्य पोषण स्रोत में अवरोध आ जाने पर अत्यावश्यक मांगों की पूर्ति हेतु वैकल्पिक पोषण व्यवस्थाएं प्रदान करना होगी। वैकल्पिक पोषण व्यवस्थाओं पर जो लागत प्रभावोत्पादक होंगी यथा, रिंग फीडर्स जिनमें विभिन्न बिन्दुओं पर खुलने की व्यवस्था होगी, पर विचार किया जा जावेगा।
- 5.3.7 वितरण प्रणालियों का रूपांकन इस प्रकार किया जावेगा ताकि वे न केवल सक्रिय ऊर्जा मांग की आपूर्ति हेतु पर्याप्त होंगे वरन् प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा हेतु भी पर्याप्त होंगे। प्रणाली विस्तार योजनाओं में अनुकूलतम स्थलों पर अनुकूलतम क्षमताओं के कैपेसिटरो का अधिष्ठापन किया जाना भी सम्मिलित होगा। तथापि, समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके स्वयं की प्रणालियों में कैपेसिटरो के अधिष्ठापन संबंधी प्रतिक्रिया हेतु एक युक्तियुक्त धारणा की जा सकेगी।
- 5.3.8 33/11 केवी उपकेन्द्रों तथा वितरण ट्रांसफार्मरों के स्थल चयन अत्यधिक सावधानी से तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं पर विचार कर अनुकूलतम के उद्देश्य से किये जावेंगे ताकि वितरण तकनीकी हानियां तथा वोल्टेज विनियमन स्वीकार्य तथा युक्तियुक्त सीमाओं में रह सकें। मानचित्रों को तैयार किया जाना तथा उनका पुनरीक्षण प्रतिवर्ष किया जावेगा।

5.4 भार पूर्वानुमान किये जाने की रीति

5.4.1 उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के भार पूर्वानुमानों की गणना पृथक से की जावेगी तथा प्रणाली से आहरणों की मात्रा की प्राप्ति हेतु तथा ऊर्जा की कुल आवश्यकताओं, शीर्ष भार, न्यूनतम प्रणाली भार, प्रणाली के शीर्ष पर होने वाले दिवसों के दैनिक भार वक्रों, विभिन्न मौसमों में, कार्य दिवसों व अवकाश दिवसों, संयोजित भार, भिन्नता कारकों (अथवा संयोग कारकों) तथा भार कारकों के प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु निम्न की आवश्यकता हेतु इन्हें जोड़ा जावेगा :

- (ए) प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु
- (बी) प्रत्येक 33 केवी उपकेन्द्र / 11 केवी वितरण ट्रांसफार्मरों हेतु
- (सी) राज्य पारेषण इकाई के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्रों से उद्भूत प्रत्येक 33 केवी / 11 केवी फीडर हेतु
- (डी) प्रत्येक जिले हेतु
- (ई) अनुज्ञप्तिधारी के सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु

5.4.2 अनुज्ञप्तिधारी निम्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु भारों के पूर्वानुमानों की गणना करेगा :

- (ए) घरेलू
- (बी) गैर-घरेलू तथा वाणिज्यिक, एक्स-रे संयंत्रों को सम्मिलित कर
- (सी) सार्वजनिक जल प्रदाय, जल-मल (सीवेज) पंपिंग, आदि
- (डी) औद्योगिक (दोनों उच्चदाब तथा निम्नदाब हेतु पृथक-पृथक से)
- (ई) सिंचाई पंपिंग तथा कृषि
- (एफ) सार्वजनिक पथ-प्रकाश
- (जी) रेलवे कर्षण
- (एच) अन्य कोई श्रेणी जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी निर्णय ले अथवा आयोग अंतिम टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

5.4.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत भार में भविष्य में होने वाली अभिवृद्धि हेतु वास्तविक प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे जो सुस्थित आधुनिक साधनों तथा विधियों व विभिन्न कारकों पर आधारित होंगे तथा निम्नों को दृष्टिगत रखते हुए तक ही परिसीमित न होंगे :

- (ए) कम से कम पिछले तीन वर्षों के ऐतिहासिक भार में बढ़ोत्तरी के रुझान
- (बी) प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में ऐतिहासिक वार्षिक वृद्धि दर तथा आगामी वर्षों में प्रत्याशित वृद्धि दरें
- (सी) प्रति उपभोक्ता संयोजित भार तथा उपभोक्ता खपत में ऐतिहासिक वृद्धि तथा आगामी वर्षों में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु इनमें होने वाली प्रत्याशित वृद्धि
- (डी) शासकीय विभागों जिनमें सांख्यिकी, आर्थिक नियोजन तथा कृषि विभाग सम्मिलित हैं के उद्योग, रेलवे कर्षण, आवासीय, सार्वजनिक प्रकाश, कृषि आदि में अभिवृद्धि के पूर्वानुमानों के साथ समन्वयन करना
- (ई) उच्च वोल्टेज तथा अति उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं से उनकी प्रस्तावित विकास योजनाएं संबंधी आंकड़े जो सीधे प्राप्त किये गये हों

- 5.4.4 उप-धारा 5.3 में वर्णित विधियों से प्राप्त आंकड़ों को एक साथ विश्लेषित तथा उपचारित किया जावेगा तथा विभिन्न रीतियों द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण आंकड़े भार पूर्वानुमानों के प्रदाय योग्य(इनपुट) जानकारी बनेंगे। अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न रीतियों से किये गये भार पूर्वानुमानों के परिणामों का मूल्यांकन करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अनुशासित पूर्वानुमान परिणामों को उनका उपयुक्त औचित्य दर्शाते हुए आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- 5.4.5 पूर्वानुमान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् (जिसे प्रतिवर्ष प्रत्येक परिस्थिति में 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जावेगा), पूर्वानुमानित मेगावाट, एमवीएआर तथा वार्षिक ऊर्जा जो सम्पूर्ण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली हेतु अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्यमान एवं प्रस्तावित प्रत्येक अंतर्संयोजनों पर पारेषण प्रणाली से आहरित किया जाना सम्भावित है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित की जावेगी। आयोग यह अपेक्षा करता है कि किये गये पूर्वानुमान मध्यप्रदेश नियामक आयोग (विद्युत क्रय आवश्यकताएं) विनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये भार पूर्वानुमान से मेल करेंगे।
- 5.4.6 उपयोगकर्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आंकड़े :
- वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनकी नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने तथा राज्य पारेषण इकाई को नियोजन आंकड़े प्रस्तुत करने की दृष्टि से, निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आंकड़े वितरण नेटवर्क, ग्रामीण विद्युत प्रदाय सहकारी समितियां एवं अनुज्ञप्तिधारियों की अधिसूचना अनुसार सूचित अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जावेंगे :
- (अ) मानक नियोजन आंकड़े (जो उन विवरणों से युक्त होंगे जो अनुज्ञप्तिधारियों हेतु वितरण प्रणाली विकास को उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु नियोजित किये जाने हेतु सामान्यतः पर्याप्त होंगे)। इसमें विकास योजनाएं एवं भविष्य की ऊर्जा एवं शक्ति की आवश्यकताएं सम्मिलित होंगी। उपयोगकर्ताओं की असंगठित श्रेणियों हेतु, अनुज्ञप्तिधारी सांख्यिकी विधियों द्वारा आंकड़ों को विकसित करेंगे।
- (ब) विस्तृत नियोजन आंकड़े (अनुज्ञप्तिधारी हेतु विशिष्ट रूप से आवश्यक कोई अतिरिक्त आंकड़े)
- 5.4.7 संयोजन के इच्छुक समस्त उपयोगकर्ता जिनकी विद्युत मांग एक मेगावाट या उससे अधिक हो अनुज्ञप्तिधारी को उनके भार आंकड़े परिशिष्ट-1 में दर्शाये प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे। किसी संयोजन के इच्छुक उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी परिशिष्ट-2 में दर्शाये अनुसार सुसंगत प्रणाली आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

धारा 6 : वितरण संयोजन की शर्तें

6.1 प्रस्तावना

- 6.1.1 वितरण संयोजन की शर्तें वे न्यूनतम तकनीकी, रूपांकन तथा प्रचालन योग्य मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हैं जो कि अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजित किसी उपयोगकर्ता द्वारा अथवा जो संयोजन का इच्छुक हो, द्वारा परिपालन किये जावेंगे। ये शर्तें न्यूनतम तकनीकी, रूपांकन एवं प्रचालन योग्य मानदण्ड भी विनिर्दिष्ट करती हैं जिनका संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ताओं से संयोजित संयोजन स्थल पर वितरण प्रणाली के किसी भाग के संबंध में परिपालन करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रदाय की शर्तें (विद्युत प्रदाय संहिता) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण अनुपालन मानदण्ड "संयोजन शर्तों" के साथ पढ़े जावेंगे।
- 6.1.2 अनुज्ञप्तिधारी का यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व होगा कि वितरण प्रणाली से किया गया कोई नवीन संयोजन विद्यमान उपयोगकर्ताओं को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगा तथा न ही नवीन संयोजन विद्यमान उपयोगकर्ताओं के कारण विपरीतात्मक प्रभावित होगा। प्रत्येक संयोजन स्थल पर उपकरण संबंधी समस्त सामग्रियों का स्वामित्व तथा दायित्व स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये जावेंगे।

6.2 संयोजन हेतु आवेदन

6.2.1 वितरण प्रणाली से संयोजन का इच्छुक कोई उपयोगकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता" में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा प्रपत्रों अनुसार प्रस्तुत कर सकेगा। समस्त अन्य उपयोगकर्ता वितरण नियोजन संहिता के परिशिष्ट-1 के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

6.3 संयोजन के आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति

6.3.1 उपयोगकर्ता के प्रदाय संयोजन संबंधी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता" में दिये गये दिशा निर्देशों पर आधारित होगी।

6.4 संयोजन अनुबंध

संयोजन अनुबंध इस प्रकार किया जावेगा जैसा कि "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता" में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6.4.1 संयोजन स्थल पर संधारण

अनुज्ञप्तिधारी के कार्यस्थल पर उपयोगकर्ता का उपकरण उपयोगकर्ता द्वारा तथा विपरीतात्मक तौर पर तत्परता से तथा उचित रूप से संधारित किया जावेगा ताकि अन्य कंपनी द्वारा किसी प्रकार की उपेक्षा के कारण कार्यस्थल के स्वामी के उपकरण तथा व्यक्तियों हेतु संकट उत्पन्न हो।

6.4.2 कार्यस्थल प्रचालन प्रक्रिया तथा अवरोध सुधार

अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ता को कार्य स्थल पर सुरक्षा सावधानियां बरतने तथा प्रचालन कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराये जावेंगे। लिखित प्रचालन एवं सुरक्षा अनुदेश कार्य स्थल पर उपलब्ध कराये जावेंगे।

6.5 प्रणाली द्वारा निष्पादन

6.5.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण अनुपालन मानदण्डों का परिपालन किया जावेगा।

6.5.2 वितरण प्रणाली से संयोजित समस्त उपस्कर ऐसे रूपांकन के तथा ऐसी निर्मिति के होंगे जो सुसंगत भारतीय मानक मानदण्डों की अर्हताओं का तुष्टिकरण करेंगे। जहां भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्ड विद्यमान न हों, उपयुक्त सीबीआईपी मेनुअल, भारतीय विद्युत (इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी) मानक अथवा समकक्ष अन्तर्राष्ट्रीय मानक लागू होंगे।

6.5.3 समस्त विद्युत उपस्करों के अधिष्ठापन में भारतीय विद्युत नियमों, 1956 का परिपालन किया जावेगा।

6.5.4 प्रत्येक वांछित नवीन संयोजन हेतु, अनुज्ञप्तिधारी संयोजन बिन्दु तथा प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज के साथ-साथ मापयंत्र तथा सुरक्षा अर्हताएं जैसा कि सुसंगत धाराओं (धारा 10 : वितरण मापयंत्र संहिता तथा धारा 11 : वितरण सुरक्षा संहिता में उपबंधित हैं) में विनिर्दिष्ट है, के अनुसार उल्लिखित करेगा।

6.5.5 उपयोगकर्ताओं के उपस्कर का विसंवहन (इन्सुलेशन) समन्वयन प्रयोज्य भारतीय मानकों/संहिताओं के अनुरूप होगा। स्वचालित की विदीर्ण (स्पंचरिंग) क्षमता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षमता से कम न होगी।

6.5.6 सुरक्षा तथा मापयंत्र योजनाएं संहिता की सुसंगत धाराओं में दिये गये विवरण अनुसार होंगी।

6.6 संयोजन बिन्दु एवं सीमाएं

6.6.1 पारेषण प्रणाली से संयोजन :

इसे मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के सुसंगत अनुच्छेदों द्वारा नियंत्रित किया जावेगा।

6.6.2 उत्पादकों का वितरण प्रणाली से संयोजन :

उत्पादन स्टेशन के स्विचयार्ड का स्वामित्व उत्पादक का होगा। उत्पादन स्टेशन स्विचयार्ड से बाह्यगामी फीडर ब्रेकर अन्य प्रणाली का अर्न्तमुख (इन्टरफेस) बिन्दु होगा।

6.6.3 केप्टिव शक्ति संयंत्र एवं उच्च वोल्टेज उपभोक्ता :

टैरिफ मापयंत्रण (मीटरीकरण) से बाह्यगामी केबल्स फ्यूज यूनितों के एक सेट, एक सर्किट ब्रेकर, एक अंदर आने वाले ट्रिपल पोल स्विच अथवा एक अंदर आने वाले डबल पोल स्विच से संयोजित होते हैं। इस पृथक्कृत यंत्र के बाह्यगामी छोर (टर्मिनल) सीमागत संयोजन बिन्दु होते हैं।

6.6.4 निम्न वोल्टेज तथा मध्यम वोल्टेज उपभोक्ता :

यह वोल्टेज 33 केवी अथवा 11 केवी हो सकती है। उपकेन्द्रों का स्वामित्व उपयोगकर्ताओं का होता है। इनकी सीमा उपयोगकर्ताओं के परिसर में फीडर प्रवेश पर स्थित होगी।

6.7 सामान्य सिद्धांत

एक एकीकृत प्रणाली को सुनिश्चित किये जाने तथा समस्त उपयोगकर्ताओं से न्याय की दृष्टि से, धारा 11 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों तथा नियंत्रणों का परिपालन किया जावेगा।

6.7.1 सुरक्षा :

उपयोगकर्ताओं के वे समस्त उपस्कर जिनमें केबल्स, तार लगाया जाना (वायरिंग) तथा शिरोपरि लाईनें सम्मिलित होंगे, भारतीय विद्युत नियम, 1956 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 53 के अंतर्गत सुरक्षा विनियमों के अंतर्गत निम्नों के संबंध में अनुकूल होंगे :

(1) विनिर्माण गुणवत्ता

(2) अधिष्ठापन की संस्थापना तथा जहां वह स्थिति है

6.7.2 विसंवहन (इन्सुलेशन) :

उपयोगकर्ताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की प्रणालियां उपयुक्त आधार विसंवहन स्तर (बेसिक इन्सुलेशन लेवल-बीआईएल) के अनुसार रूपांकित की जावेंगी। सेवारत् समस्त संघटकों की विसंवहन शक्ति समस्त समयों पर, प्रणाली प्रचालन योग्य वोल्टेज पर पर्याप्त विसंवहन शक्ति की होगी।

6.7.3 परस्पर अंतरताएं (क्लियरेंसेज) :

समस्त शिरोपरि लाईनों, उपकरण तथा उपयोगिताओं के भूमि स्तर के संदर्भ में तथा उनमें परस्पर पर्याप्त क्षैतिज (हॉरीजोन्टल) तथा लम्बवत् (वर्टिकल) अन्तर रखा जावेगा जैसा कि भारतीय विद्युत नियमों अथवा तत्संबंधी किसी अभिलेख अनुसार किसी भी समय विनिर्दिष्ट किया जावे जो भारतीय विद्युत नियमों को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप लागू हों।

6.7.4 भूयोजन (अर्थिंग) :

उपयोगकर्ताओं प्रणालियों के समस्त संघटक मानकों के अनुसार उचित रूप से भूयोजित किये जावेंगे। उपकरण के समस्त अवयवों के ढांचे /आवरण/ ट्रक/ संलग्नक उचित रूप से भूयोजित किये जावेंगे जो कि भूयोजन की वास्तविक व्यवस्थाओं के अनुरूप मशीन वर्गीकरण (रेटिंग) पर निर्भर करेंगे। शिरोपरि लाइनों के धातुयुक्त आलंब, केबल आवरण (शीथ) एवं कवच (शील्ड) को उपयुक्त विधि से भूयोजित किया जावेगा।

6.7.5 मोटर स्टार्टर :

उपयोगकर्ताओं की मोटरों हेतु प्रदत्त स्टार्टर इस प्रकार के एवं रूपांकन के होंगे जिसके अनुसार आरंभिक करंट पूर्ण-भार करंट के छः गुना से कम होगा तथा 11/0.4 केवी उपकेन्द्र पर परिणामी वोल्टेज गिरावट 5 प्रतिशत से कम होगी। अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ता को "आटो-ट्रांसफार्मर" द्वारा आरंभ करने संबंधी प्रणाली में परिवर्तन किये जाने हेतु परामर्श दे सकेगा यदि किसी विशिष्ट मोटर हेतु लगाये गये अन्य प्रकार के स्टार्टर प्रणाली में अस्वीकार्य प्रकार के बदलाव निमित्त करें।

6.7.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोगकर्ता के संयंत्र तक पहुंच :

सामान्य शासकीय औपचारिकताएं एवं नैतिकताओं (प्रोटोकॉल) के अध्यक्षीन यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि उपयोगकर्ता की प्रणाली प्रभारित किये जाने से पूर्व तथा तदोपरांत नियतकालिक मानकों तथा प्रतिबंधों के अनुरूप कार्यरत है, अनुज्ञप्तिधारी तथा उनके प्राधिकृत कर्मियों को उपयोगकर्ता अथवा उपभोक्ता के संयंत्र का निरीक्षण किये जाने का अधिकार होगा। उपयोगकर्ता, अनुज्ञप्तिधारियों के प्राधिकृत कर्मियों को समयबद्ध पहुंच की सुविधाएं भी उपलब्ध करावेंगे।

6.7.7 गैर-अभिप्रेत तथा गैर-अनुसूचित विपरीतात्मक ऊर्जाकरण :

उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित किये जाने के संबंध में पर्याप्त सावधानियां बरतेंगे कि वितरण प्रणाली का कोई भी भाग उपयोगकर्ता की प्रणाली से अथवा अन्य किसी स्रोत से उपयोगकर्ता प्रणाली के माध्यम से ऊर्जाकृत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस हेतु अपवादत्मक व्यवस्था के बतौर लिखित में मांग पत्र प्रस्तुत न किया गया हो। उपयोगकर्ता प्रणाली के स्विचगियर एवं नियंत्रण इस प्रकार रूपांकित किये जावेंगे जिससे विपरीतात्मक ऊर्जाकरण प्रतिबंधित हो सकेगा। यह व्यवस्था उन उत्पादन इकाईयों पर लागू न होगी जो अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के समानान्तर प्रचालन के उद्देश्य से कार्यरत हों।

6.7.8 ऊर्जा-कारक (पॉवर फैक्टर) :

किसी उपयोगकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी के जिस संयोजन बिन्दु पर किये गये मापन अनुसार ऊर्जा आयात की जावेगी, का ऊर्जा-कारक 90 प्रतिशत से कम न होगा। ऊर्जा-कारक को व्यवस्थित रखने का दायित्व (आवश्यकता होने पर शंट कैपेसिटर की अधिस्थापना द्वारा) उपयोगकर्ता अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर, जो भी ऊर्जा प्राप्त करता हो, निर्भर करेगा।

6.7.9 वितरण प्रणाली की आस्तियों की अनुसूची :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक वार्षिक वितरण आस्तियों की अनुसूची (जैसे टेके (सपोर्ट्स), संवाहक, (कंडक्टर), केबल्स, विसंवाहक (इन्सुलेटर), भू-योजन तारें, समस्त शिरोपरि तथा भूमिगत नेटवर्क के मापयंत्र, मापयंत्र उपस्कर तथा ट्रांसफार्मर, सुरक्षायंत्र गैट्री संरचनाएं, नियंत्रण केबल्स, नियंत्रण पेनल के साथ साथ समस्त सिविल एवं गतिशील(मोबाइल) आस्तियां जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी संबंधी हो) प्रस्तुत करेगा जो उक्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में वितरण प्रणाली में योगदान करते हैं, वह स्वामित्व दर्शाते हुए जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रचालन नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व है।

खण्ड 3 –वितरण प्रचालन

धारा 7 : वितरण प्रचालन नियोजन

7.1 प्रस्तावना

7.1.1 यह धारा अनुज्ञप्तिधारी एवं उपयोगकर्ताओं, जिनकी विद्युत लाईनें तथा विद्युत संयंत्र अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से अर्न्तमुख के सुरक्षित तथा निपुण प्रचालन हेतु संयोजित हैं द्वारा अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया तथा कार्यप्रणाली संहिताबद्ध करती है। यह धारा किन्ही दो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्युत अर्न्तमुख को उसके सुरक्षित तथा निपुण प्रचालन हेतु भी प्रयोज्य होगी। वितरण तथा पारेषण प्रणालियों के मध्य अर्न्तमुखों के प्रचालन योग्य विषयों पर विद्युत ग्रिड कोड में चर्चा की गई है जिनके अनुसार समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को अनुपालन करना होगा तथा उपयोगकर्ताओं को आंकड़े की समयबद्ध प्रस्तुति, कार्यवाही तथा प्रवाह द्वारा ऐसे अनुसरण हेतु समर्थ बनाना होगा।

7.1.2 इस धारा के अंतर्गत प्रणाली प्रचालन के निम्न पहलू दिये गये हैं :

- (ए) मांग का प्राक्कलन करना
- (बी) उपकेन्द्रों एवं वितरण लाईनों का संधारण
- (सी) अवरोध (आऊटेज) नियोजन
- (डी) आकस्मिकता नियोजन
- (ई) मांग प्रबंधन/भार को कम करना (लोड शेडिंग)
- (एफ) छोटे उत्पादकों के साथ अर्न्तमुख
- (जी) प्रणाली सुरक्षा और अग्नि से सुरक्षा
- (एच) प्रचालन नाम-पट्टिका (आपरेशनल लेबलिंग)
- (आई) वोल्टेज/आवृत्ति/ऊर्जा कारक का प्रबोधन तथा नियंत्रण
- (जे) संगतताएं

7.2 मांग का प्राक्कलन करना

7.2.1 अनुज्ञप्तिधारी उसकी आवश्यकता (मांग एवं विद्युत संबंधी) पारेषण-वितरण अर्न्तमुख बिन्दुओं पर 15 मिनटों के खण्डों में आगामी दिवस/आगामी सप्ताह/आगामी माह आधार पर निम्न प्रस्तुतियों के आधार पर प्राक्कलित करेगा :

- (ए) ऐतिहासिक जानकारी
- (बी) अतिरिक्त उच्चदाब एवं उच्चदाब उपभोक्ताओं/खुली पहुंच उपभोक्ताओं से आवश्यकता
- (सी) वितरण प्रणाली से संयोजित उत्पादक प्रत्येक कलेण्डर माह के आरंभ होने से कम से कम 10 दिवस पूर्व 15 मिनट आधारित अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संतुलन एवं व्यवस्थापन संहिता (बैलेंसिंग एण्ड सेटलमेंट कोड) की अर्हताओं के अनुसार उनकी उपलब्धता प्रस्तुत करेंगे।
- (डी) प्रणाली हानियों का युक्तियुक्त प्राक्कलन

7.2.2 अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त ऐतिहासिक आंकड़ों को संधारित करेगा तथा मांग प्राक्कलित किये जाने हेतु वैज्ञानिक तकनीकों/विधियों का उपयोग करेगा।

7.2.3 मांग पूर्वानुमानों का पुनरीक्षण

जब कतिपय परिस्थितियों में परिवर्तन होने संबंधी ऐसी घटनाएं घटें जिनके कारण मांग पूर्वानुमानों का पुनरीक्षण आवश्यक हो जावे, मांग की पुनरीक्षित मात्राएं त्वरित रूप से निम्नानुसार सूचित की जाएंगी :

(अ) उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को फैक्स द्वारा, पुनरीक्षण के तुरंत उपरांत

(ब) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा राज्य पारेषण इकाई को फैक्स द्वारा, पुनरीक्षण के तुरंत उपरांत

पुनरीक्षित मात्राएं एक दिवस, एक सप्ताह, एक माह की अवशेष अवधि हेतु, जैसा कि सुसंगत हो, हेतु लागू मानी जाएंगी तथा मूलतः प्रदत्त किये गये आंकड़ों को निष्प्रभावी कर देंगी।

7.3 उपकेन्द्रों तथा वितरण लाइनों का संधारण

7.3.1 अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक रूप से संधारण निम्न दर्शाये समस्त उपकरणों हेतु करेगा :

(अ) ऊर्जा (पावर) ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर तथा आयसोलेटर (एबी) स्विच तथा संधारित कराये गये कार्यों के विवरण एक पंजी में दर्ज किये जावेंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अभियन्ता अथवा प्रभारी अधिकारी पंजी को हस्ताक्षरित करेगा।

(ब) नियमित संधारण के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी समस्त 33 केवी, 11 केवी एवं निम्न वोल्टेज लाइनों पर प्रति वर्ष मानसून पूर्व/मानसून उपरांत निरीक्षण तथा संधारण करेगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी व्यवधानों को न्यूनतम किये जाने की दृष्टि से समस्त उपकेन्द्रों पर संधारण कार्यों का समन्वयन राज्य पारेषण इकाई के संधारण कार्यों के साथ करेगा।

7.4 अवरोध (आऊटेज) नियोजन

7.4.1 अनुज्ञप्तिधारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र/उप-भार प्रेषण केन्द्र को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रति वर्ष 30 नवंबर तक प्रस्तावित अवरोध कार्यक्रम प्रदान करेगा।

7.4.2 अवरोध कार्यक्रम में अवरोध अवधि के दौरान वितरण प्रणाली (जो 11 केवी प्रणाली से कम न होगी) की लाइनों तथा उपकरणों की पहचान जिन्हें सेवा से वापस लिया जाना प्रस्तावित है, अवरोध आरंभ होने की तिथि, अवरोध की अवधि तथा अवरोध अवधि के दौरान किसी अर्न्तसंयोजन बिन्दु पर सीमित किये गये भार की मात्रा संबंधी जानकारी अर्न्तविष्ट होगी। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी, प्रणाली में विद्युत अवरुद्ध (शट डाऊन) संबंधी जानकारी इसके घटित होने से एक दिवस पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा।

7.4.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र/उप-भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप से सहमत की गई पारेषण अवरोध योजना प्रतिवर्ष 1 मार्च को जारी किये जाने के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवरोध योजना 31 मार्च तक वितरण प्रणाली के अवरोध के साथ मेल किये जाने हेतु जारी की जावेगी।

7.4.4 इससे पहले कि 11 केवी तथा उससे अधिक की कोई लाइनें अथवा उपस्कर (वितरण ट्रांसफार्मरों को छोड़कर) सेवा से वापस लिये जावें, अनुज्ञप्तिधारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र/उप-भार प्रेषण केन्द्र के

नामांकित अधिकारी से इस संबंध में परामर्श प्राप्त करेगा, भले ही इस अनुमोदित योजना में पूर्व से ही सम्मिलित कर लिया गया हो।

7.4.5 उपरोक्त के अतिरिक्त, 132 केवी अथवा उससे अधिक की लाईनों तथा उपस्करों के संबंध में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का विशिष्ट विमोचन भी प्राप्त किया जावेगा।

7.4.6 उपरोक्त प्रक्रिया निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत लागू नहीं होगी :

- (1) ऐसे प्रकरणों में जहाँ अर्न्तसंयोजन बिन्दु पर प्राक्कलित आहरण प्रभावित न हो ;
- (2) संयंत्र तथा मशीनरी को बचाने हेतु आपातकालीन परिस्थितियों में,
- (3) किन्हीं अपरिहार्य आपातकालीन परिस्थितियों में जहां लाईन अथवा उपस्कर का पृथक्करण किया जाना मानव जीवन की सुरक्षा हेतु अपरिहार्य हो ; एवं
- (4) समझौते का उल्लंघन किये जाने के कारण किसी उपयोगकर्ता अथवा उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन पर संयोजन का विच्छेद क्रियान्वयन किया जाना।

जहां भी भार 5 मेगावाट अथवा उससे अधिक की सीमा तक प्रभावित हो रहा हो, वहां ऐसे समस्त प्रकरणों में राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित किया जावेगा।

7.4.7 उपयोगकर्ता के संयंत्र में अवरोध :

समस्त उपयोगकर्ता उनके अनुज्ञप्तिधारी को उनकी अस्थाई अवरोध योजनाएं प्रति वर्ष 20 अक्टूबर तक प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक उच्च वोल्टेज, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ता, छोटे उत्पादक एवं केप्टिव शक्ति उत्पादक उनकी विद्युत अवरोध योजना के आरंभ होने की तीन प्राथमिकताएं, अर्थात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकता उपदर्शित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली के अवयवों की अवरोध योजना को उपयोगकर्ताओं के अवरोधों को समरूप बनायेगा तथा उपयोगकर्ताओं को विस्तृत अवरोध योजना 10 नवंबर तक संसूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ताओं के अवरोध आरंभ होने की प्रथम प्राथमिक दिनांकों को समायोजित करने का प्रयास करेगा। उपयोगकर्ता 20 नवंबर तक, पुनरीक्षित कार्यक्रम की स्वीकृति (यदि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो) अथवा उसे स्वीकृत किये जाने के संबंध में उनकी असमर्थता व्यक्त करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी, तदोपरांत समस्त उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समाविष्ट करते हुए अवरोध योजना को 25 नवंबर तक पुनरीक्षित करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ताओं के साथ द्वितीय पुनरीक्षण से पूर्व समन्वयन बैठकों का आयोजन कर सकेगा।

7.4.8 वितरण अवरोध योजना का क्रियान्वयन :

एक मार्च को राज्य पारेषण इकाई से उपयोगकर्ताओं द्वारा अंतिम रूप से यथा सहमत की गई एक समग्र अवरोध योजना प्राप्त किये जाने पर प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अवरोधों की एक सूची तैयार करेगा जो उसके क्षेत्र/वृहद उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय में अवरोध को अंतर्निहित करते हों। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को व्यवधान की तिथि एवं उसके समय से अवगत करायेगा। क्षेत्रीय व्यवधान की घोषणा प्रचार-प्रसार माध्यम से की जावेगी जबकि वृहद उपभोक्ता एवं संस्थाएं जो कि अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जावेगा। अत्यावश्यक भारों की सूची इस धारा के परिशिष्ट-3 में दर्शाई गई है। तथापि, अत्यावश्यक भारों को पोषित किये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अधिकतम प्रयास किया जावेगा। यदि व्यवधान किया जाना अवश्यम्भावी हो तो उक्त अवधि को न्यूनतम किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी 33/11 केवी ट्रांसफार्मरों, 33 केवी एवं 11 केवी लाईनों, वितरण ट्रांसफार्मरों एवं निम्न वोल्टेज लाईनों में परस्पर अवरोधों बाबत तथा पारेषण अवरोधों से संधारित किये जाने हेतु, जो आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करते हों, से समकालन (सिंक्रोनाइज़) करेगा, अर्थात्, पूर्ण प्रणाली में विद्युत प्रवाह के ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक (33 केवी लाईनों तथा 33/11 केवी उपकेन्द्रों तक) के संधारण कार्य एक ही व्यवधान अवधि में कार्यान्वित किये जावेंगे, जहां वैकल्पिक पोषण की व्यवस्था न की जा सकती हो। अनुज्ञप्तिधारी, छोटे उत्पादन संयंत्रों तथा केप्टिव शक्ति

संयंत्रों से अवरोध के दौरान पारेषण प्रणाली से अतिरिक्त विद्युत आहरण की कार्यवाही करेंगे। राज्य पारेषण इकाई से प्राप्त होने के तुरंत बाद, अनुज्ञप्तिधारी अंतिम सत्यापित समग्र अवरोध योजना के प्रासंगिक भागों को अपने उपयोगकर्ताओं को प्रसारित करेंगे।

7.4.9 वास्तविक विद्युत अवरोध के पूर्व राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विशिष्ट विमोचन (रिलीज) :

अनुमोदित अवरोध योजना के प्रचलित होने के बावजूद भी अनुज्ञप्तिधारी किसी फीडर अथवा उपस्कर को, राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विशिष्ट विमोचन प्राप्त किये बिना न तो उसे सेवा प्रदाय से मुक्त कर सकेगा तथा न ही छोटे उत्पादन संयंत्र को बन्द कर सकेगा, जब तक कि :

- (अ) किसी संयोजन बिन्दु से आहरण में अनुसूचित मान से वृद्धि न हो जावे
- (ब) किया गया विद्युत अवरोध उपभोक्ताओं के भारों में बारंबार व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा जिसे टाला जा सकता हो।

उपरोक्त (अ) एवं (ब) में दर्शाये गये प्रकरणों में भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा सुसंगत अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र को अवरोध प्रचालनों को कार्यान्वित किये जाने से पूर्व उन्हें दूरभाष द्वारा अवगत कराया जावेगा।

7.5 आकस्मिकता नियोजन

पारेषण प्रणाली के पूर्ण अथवा आंशिक अंधकारमय हो जाने पर एक आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक आकस्मिक परिस्थिति स्वयं वितरण प्रणाली के स्थानीय रूप से भंग हो जाने के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अंतर्संयोजन बिन्दु पर या उसके पूर्व भी उपकरण प्रणाली के भंग हो जाने के कारण उत्पन्न हो सकती है।

7.5.1 आकस्मिकता का न्यूनीकरण एवं आकस्मिकता निवारण :

- (अ) अनुज्ञप्तिधारी एवं उपयोगकर्ता निम्न के संबंध में स्थाई संयुक्त कार्यवाही प्रक्रियाएं संव्यवहारित करेंगे :
 - (i) एक आसन्न आकस्मिक आवश्यकता/अंधकारमय होने के संबंध में सतर्क किये जाने पर आकस्मिकता के निवारण हेतु ;
 - (ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा चेतावनी दिये जाने पर : आसन्न आकस्मिकता का सामना किये जाने हेतु आकस्मिकता के प्रभाव को न्यूनतम किये जाने हेतु आवश्यक प्रचालनों का निपुणता से संचालन द्वारा तैयारी किया जाना ;
 - (iii) आकस्मिक भार संबंधी राहत हेतु अत्यावश्यक अनुरोध किये जाना : पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अत्यावश्यक भारों एवं प्रसंस्करण उद्योगों को न्यूनतम व्यवधान के साथ भार संबंधी राहत प्रदान करना। यह कार्यवाही न्यून आवृत्ति के कारण प्रणाली के ध्वंस को रोक सकती है। इस विषय पर विस्तृत विवरण धारा 7.5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ब) अनुज्ञप्तिधारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त अग्रिम चेतावनियों को चयन किये गये उपयोगकर्ताओं को प्रसारित करेंगे।
- (स) वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (Distribution System operations control- DSOC) की स्थापना :

समस्त अनुज्ञप्तिधारी महत्वपूर्ण 33 केवी उपकेन्द्र(ों) की पहचान करेंगे जो अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र के भौगोलिक केन्द्र तथा भार केन्द्रों के समीप सामरिक रूप से स्थित है/हैं तथा जो **वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र** के बतौर कार्य करेगा/करेंगे एवं जिनके पास पर्याप्त संसूचना सुविधाओं के साथ-साथ पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आंकड़ा अर्जन (Supervisory Control And Data Acquisition-

SCADA) सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। **वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र** आकस्मिक अवधियों में अतिरिक्त पारी कर्मचारियों की सहायता से चौबीसों घंटे कार्यरत रहेगा।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त ग्रिड चेतावनियों के प्रत्युत्तर में की जाने वाली कार्यवाही को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रबंधकों द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार **वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र** द्वारा प्रचालन कर्मचारियों को संसूचित किया जावेगा। **वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र** को त्वरित रूप से दिये गये अनुदेशों का विभिन्न केन्द्रों तथा विभिन्न परिस्थितियों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा औपचारिक कार्यवाहियों तथा आदर्श प्रतिक्रियाओं के संवहन द्वारा अनुपालन किया जावेगा।

वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र से समन्वयन हेतु तथा अन्धकारमय परिस्थितियों के प्रबंधन, आपातकालीन प्रचालन अनुदेशों तथा पुर्नस्थापना आदि संबंधी अनुदेशों को प्राप्ति हेतु उत्तरदायी रहेगा।

7.6 मांग प्रबंधन अथवा भार अवरोध

7.6.1 जब भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षा की जावेगी, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही कर भार-उत्पादन संतुलन तथा प्रणाली आवृत्ति का संधारण किये जाने हेतु भार अवरोध का क्रियान्वयन किया जावेगा।

7.6.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र से दी गई कोई अग्रिम सूचना, अनुज्ञप्तिधारियों को उपयोगकर्ताओं द्वारा न्यूनतम व्यवधान एवं न्यूनतम असुविधा के साथ भार अवरोध संबंधी तैयारी किये जाने हेतु समर्थ बनायेगी।

7.6.3 किसी भी समय भार में किये जाने वाले अवरोध की मात्रा का निर्धारण निम्न तथ्यों पर आधारित होगा :

- (1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त जानकारी एवं अनुदेश, तथा,
- (2) वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र तथा अन्य स्थलों पर आवृत्ति मापयंत्रों (फ्रिक्वेंसी मीटर्स) द्वारा दर्शाई गई प्रणाली आवृत्ति

भार अवरोध की मात्रा उत्पादन में कमी की मात्रा पर निर्भर करती है तथा इसे विद्यमान भार के प्रतिशत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है।

7.6.4 भार अवरोध की अवधि :
भार अवरोध के स्वरूप को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

- (1) अस्थायी, एकल समय आधारित
- (2) पुनरावृत्ति एवं नियतकालिक (उदाहरणार्थ, प्रतिदिवस शीर्ष भार अवधि के अंतर्गत प्रदत्त की गई मात्रानुसार भार अवरोध किया जाना)
- (3) निरंतर, जब तक कि एक नवीन उत्पादन स्टेशन अथवा एक नवीन ऊर्जा (पॉवर) ट्रांसफार्मर की संस्थापना कर इन्हें चालू नहीं कर दिया जावे अथवा
- (4) आकस्मिकता आधारित (अनापेक्षित कारणों से)

अतः भार राहत को, विद्यमान भार के प्रतिशत के रूप में अथवा मेगावाट में अवरोधित भार की मात्रा द्वारा, उसकी अवधि व उसे आरंभ किये जाने का समय दर्शाते हुए एवं इस तथ्यानुसार कि क्या वह एकल समय, पुनरावृत्ति, निरंतर अथवा नियतकालिक प्रकार का है, विनिर्दिष्ट किया जाता है।

7.6.5 भार राहत आवश्यकता की संसूचना :

अनुज्ञप्तिधारी, भार राहत आवश्यकताएं, वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र तथा प्रसार माध्यम के प्रयोग द्वारा संसूचित करेगा। वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र समस्त 33 केवी उपकेन्द्रों को इस

बाबत संसूचित करेगा जो तत्पश्चात् प्रदाय क्षेत्राधिकार में उनके उपयोगकर्ताओं को अनुसूचित भार अवरोध के संबंध में सूचित करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो भार राहत प्रचालन, उपकेन्द्रों पर 11 केवी फीडरों की ट्रिपिंग द्वारा संचालित किये जा सकेंगे। अग्रिम रूप से नियोजित भार अवरोध (अग्रिम दिवस आदि) को उक्त क्षेत्र में जहां भार का अवरोध किया जाना अभिप्रेत है, का समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा विस्तृत प्रचार प्रसार किया जावेगा।

7.6.6 मार्गदर्शी सिद्धांत :

अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कुल भार राहत को सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तारित किया जावेगा तथा इसे अधिकतम उपभोक्ता संख्या में बांट दिया जावेगा जिससे इसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। इसके अतिरिक्त जब कभी भी दीर्घ-अवधि भार में राहत दी जाना हो तो चक्रानुक्रम अनुसार भार में कमी किये जाने संबंधी साधन अपनाए जाने चाहिए। जिस सीमा तक संभव हो, अत्यावश्यक भार तथा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग को इस उपाय से छूट दी जावेगी।

अनुज्ञप्तिधारी उसकी प्रणाली पर, विशेषतः ए.बी.टी. के अंतर्गत, उस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगा तथा न्यून ग्रीड आवृत्ति परिस्थितियों में ग्रीड आवृत्ति एवं भार कम करने संबंधी समय में गैर अनुसूचित भार न्यूनतम करने हेतु कड़ी जोड़ने का प्रयास करेगा।

7.7 लघु उत्पादकों के साथ अर्न्तमुख

लघु उत्पादन स्टेशनों (6 मेगावाट अथवा उससे कम क्षमता वाले) पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा जो गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित है एवं आम तौर पर निजी उत्पादकों द्वारा विकसित की जाती है, को वितरण प्रणाली से संयोजन कर निकासित किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में, विद्युत क्रय अनुबंध/चक्रण अनुबंध एवं संयोजन अनुबंध (धारा-6) के साथ-साथ उप-धारा 6.6 के उपबंध भी लागू होंगे।

7.7.1 वितरण प्रणाली के साथ समानांतरण :

एक लघु उत्पादन इकाई का समानान्तरण तथा भार में सार्थक रूप से परिवर्तन किया जाना अनुज्ञप्तिधारी तथा लघु उत्पादक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जावेंगे। जब भी कभी अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली के किसी भाग के संबंध में किसी भी प्रयोजन से, उत्पादन इकाई से जिससे कि वह सामान्य रूप से संयोजित है, पृथक्कृत होना चाहे तो ऐसी दशा में उत्पादक उसे प्रत्याभूत रूप से पृथक्कृत किये जाने की व्यवस्था करेगा।

7.7.2 संगतता (हारमोनिक्स) :

जब कभी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमुख रूप से पोल समकालन उत्पादन इकाईयों को संगतता उत्पन्न करते हुए पाया जावे जिससे प्रणाली में विक्षोभ निमित्त हों, तो वह उत्पादक को निर्धारित समय सीमा में फिल्टर स्थापित किये जाने हेतु परामर्श दे सकेगा। परिपालन न किये जाने की दशा में शास्ति को अधिरोपित अथवा संयोजन का विच्छेद किया जा सकेगा।

7.7.3 इंडक्शन उत्पादक

जब कभी भी किसी इंडक्शन उत्पादक (यथा, पवन चक्की उत्पादक) का समकालन किया जावेगा, उत्पादकों द्वारा प्रणाली प्रक्षोभों को सीमाबद्ध रखे जाने हेतु पर्याप्त सतर्कता बरती जावेगी। इंडक्शन उत्पादक पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर्स का संस्थापन प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा आहरण की क्षतिपूर्ति हेतु करेंगे। इसके अतिरिक्त जब कभी भी ऊर्जा कारक (पावर फ़ैक्टर) आरंभिक अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में कम पाया जावे जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में वोल्टेज ह्रास निमित्त हो, ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उत्पादक को कैपेसिटर्स को संस्थापित किये जाने हेतु परामर्श दे सकेगा तथा उत्पादक को इसका परिपालन करना होगा। परिपालन न किये जाने पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

7.8 सुरक्षा :

7.8.1 अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित रहेंगे। वे उपयोगकर्ताओं के साथ त्रैमासिक सुरक्षा समीक्षा बैठकों का आयोजन, वितरण प्रणाली तथा उपयोगकर्ताओं की प्रणालियों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किये जाने हेतु उनके कृत्यों की समीक्षा, सुरक्षा का समन्वयन, रिले विन्यासों का सही वर्गीकरण तथा संशोधनों पर सुझाव दिये जाने हेतु सुनिश्चित करेंगे। अन्य सुरक्षा संबंधी विषय पृथक से धारा 7 में वर्णित किये गये हैं।

7.9 अग्नि सुरक्षा :

7.9.1 समस्त 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर सुरक्षा मानकों के अनुसार अग्निशामक उपकरणों की व्यवस्था की जावेगी। अपने कर्तव्यों पर तैनात कर्मियों को अग्निशामक उपकरणों को उपयोग किये जाने का प्रशिक्षण दिया जावेगा। वितरण प्रणाली प्रचालन नियंत्रण केन्द्र पर एक अतिरिक्त अग्नि शामक उपकरण सेट की व्यवस्था भी की जावेगी।

7.10 प्रचालन नामपट्टिका लगाना :

7.10.1 अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रत्येक उपयोगकर्ता उपकेन्द्रों तथा संयोजन कार्यस्थलों पर उपस्कर/उपकरण तथा सर्किटों के संख्यांकन तथा नामांकन, उनके स्पष्ट, असंदिग्ध संकेत तथा नामपट्टिका के प्रावधान तथा संधारित किये जाने बावत् उत्तरदायी होंगे। ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर अथवा आयसोलेटर जैसे उपकरणों की प्रत्येक इकाई पर एक विशिष्ट अंक की नामपट्टिका लगाई जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी नामफलकों के माध्यम से समस्त स्थलों पर द्वि-पोषण बिन्दुओं (डबलफीडिंग पाईट्स) को अंकित करेंगे। द्वि-पोषित बिन्दुओं के स्थलों की सूची उपकेन्द्र पर रखी गई एक पंजी में निर्दिष्ट की जावेगी तथा क्षेत्र में कार्यरत समस्त प्रचालन कर्मचारियों को सूचित की जावेगी।

7.11 वोल्टेज, आवृत्ति एवं भार-कारक का प्रबोधन तथा नियंत्रण :

अनुज्ञप्तिधारी भारतीय विद्युत नियम, 1956, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, वितरण अनुपालन मानदण्ड तथा अन्य प्रचालन मानक जो विकसित तथा अनुमोदित किये गये हों का परिपालन करेंगे। ये अभिलेख इस धारा के साथ-साथ पठित होंगे।

- (i) अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली में वोल्टेज, आवृत्ति एवं भार कारकों का प्रबोधन विभिन्न बिन्दुओं पर शीर्ष एवं सामान्य (ऑफपीक) घंटों पर करेगा तथा एक मेगावाट से अधिक मांग वाले उपभोक्ताओं व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के समन्वयन से उनमें सुधार बावत् युक्तियुक्त उपाय करेगा।
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली में सामरिक बिन्दुओं पर प्रणाली अध्ययन द्वारा एवं वांछित प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति उपस्करों का अधिष्ठापन कर ऊर्जा कारक सुधार उपायों के माध्यम से करेगा।
- (iii) वितरण प्रणाली में उपलब्ध उत्पादन, प्रणाली मांग तथा किसी भी समय पारेषण एवं वितरण प्रणाली के विशिष्ट ढांचे के अंतर्गत वोल्टेज में परिवर्तन हो सकता है। सामान्य प्रचालन परिस्थितियों के अंतर्गत, अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के अंतर्संयोजन बिन्दु से परे भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार प्रदाय की गुणवत्ता संधारित किये जाने की दृष्टि से वितरण व्यवस्था में उपयुक्त वोल्टेज प्रबंधन संव्यवहारित करेगा। 33 केवी उपकेन्द्रों पर जहां कहीं भी कैपेसिटर उपलब्ध होंगे का प्रचालन बस वोल्टेज को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति को ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) की स्वीकार्य सीमाओं के न्यूनतम 0.9 संधारित किये जाने हेतु करेगा।
- (iv) उपयोगकर्ता/उपभोक्ता जिनके भार उच्च संगतता के अंतर्गत समाविष्ट, न्यून ऊर्जा कारक तथा उच्चावच युक्त होंगे, वे उपयुक्त परिशोधन उपस्कर अधिष्ठापित करेंगे।

- (v) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा भार प्रबंधन पर समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन प्रदाय की आवृत्ति का संधारण विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अंतर्गत रखे जाने की दृष्टि से करेगा।
- (vi) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की गई कतिपय अनुचित कार्यवाही : यदि कोई विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट तत्काल भार राहत की व्यवस्था करता है परन्तु राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अन्य अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्यों की प्रणालियों हेतु अनुपातिक राहत प्राप्त करने में असमर्थ रहें जो कि अनुज्ञप्तिधारी के कार्यक्षेत्र में भार में कभी के बावजूद आवृत्ति में सुधार में कमी के कारण हो, ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रकरण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को प्रतिवेदित किया जावेगा जो इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि दोष क्रमशः मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत अथवा पश्चिमी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी राज्य में घटित हुआ है।

7.12 सामान्य विषय :

7.12.1 प्रचालन आकड़े :

यदि वितरण नियोजन संहिता एवं संयोजन शर्तों के उपबंधों के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अतिरिक्त आंकड़ों की आवश्यकता हो, तो कोई भी उपयोगकर्ता उसे अनुरोध प्राप्त होने पर उसे अनुज्ञप्तिधारी को अथवा विपरीतात्मक प्रस्तुत कर सकेगा। प्रणाली में निष्पादन नियोजन, रूपांकन एवं निर्माण प्रक्रमों में मानकों के परिपालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा प्रचालन में किसी प्रकार का परिवर्तन का अवलोकन होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा उपयोगकर्ताओं सहित संयुक्त रूप से विशेष अध्ययन, यथा, लघु-परिपथ (शार्ट-सर्किट), स्थायित्व, वोल्टेज विनियमन, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता अध्ययन संचालित किये जावेंगे तथा इन अध्ययनों बाबत आंकड़े उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये जावेंगे। उपयोगकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी, जो आंकड़े चाह रहे हों, को इन आंकड़ों की आवश्यकता का औचित्य बताना होगा यदि आंकड़े प्रदाय करने वाला अभिकरण (उपयोगकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी) इस हेतु मांग करे तथा प्राप्त किये गये आंकड़ों को प्राप्तिकर्ता द्वारा गोपनीय रखा जावेगा।

किसी अन्य इकाई द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़े प्राप्तिकर्ता द्वारा केवल उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जा सकेंगे जिस हेतु ये प्रदान किये गये हों।

7.12.2 संसूचना

आंकड़ों के आदान-प्रदान, संसूचना तथा प्रचालन अनुदेशों हेतु विश्वसनीय संसूचना की कड़ियां, अनुज्ञप्तिधारियों एवं उपभोक्ताओं हेतु जिनकी मांग 5 मेगावाट से अधिक हो, उत्पादक जो वितरण प्रणाली से संयोजित हो तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु संस्थापित की जावेगी।

7.12.3 प्रचालन समस्याएं

अनुज्ञप्तिधारी, वितरण संहिता से सुसंगत प्रचालन प्रक्रियाएं, वितरण प्रणाली के बाधारहित तथा समन्वित प्रचालन हेतु विकसित करेंगे। जब भी कभी अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपयोगकर्ताओं के प्रचालक ऐसी किसी कठिनाई का अनुभव करे जिनके कारण अंतर्संयोजन बिन्दुओं पर प्रणाली प्रचालन में बाधारहित समन्वयन प्रभावित हो रहा हो, इन प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जावेगा। यदि विशेष अध्ययनों के परिणाम स्वरूप प्रणाली अथवा उपस्कर के कतिपय भागों में परिवर्तन किया जाना अवश्यभावी हो तो

ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ता उनकी संबंधित प्रणाली में बिना देरी किये इन्हें मूर्तरूप देंगे।

धारा 8 : सीमा-पार सुरक्षा

8.1 परिचय, विस्तार एवं उद्देश्य

8.1.1 यह धारा वे सुरक्षा प्रक्रियाएं एवं ली जाने वाली सावधानियां विनिर्दिष्ट करती है जिससे यह सुनिश्चित हो कि एक अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में अथवा उपयोगकर्ता की प्रणाली में ऐसी परिस्थितियों में कार्य संपादन सुरक्षापूर्वक किया जाना सुनिश्चित हो सके जहां सुरक्षा की प्राप्ति प्रचालनों (पृथक्करण एवं भू-योजन) द्वारा किसी अन्य के संयोजन बिन्दु पर उस पार संभव हो सके। उपयोगकर्ता से अभिप्रेत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी से भी होगा ताकि यह संहिता दो अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य सीमा-पार सुरक्षा हेतु "अन्य अनुज्ञप्तिधारी" को "उपयोगकर्ता" से प्रतिस्थापना द्वारा भी लागू होगी।

8.1.2 सीमा-पार सुरक्षा संहिता में सुरक्षा से अभिप्रेत है उपयोगकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी के छोर पर अंतर्संयोजन बिन्दु पर उसके उपकरण/प्रणाली भाग में भौतिक रूप से तथा प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले पृथक्करण एवं भूयोजन द्वारा किसी विद्युत प्रदाय का अवरोध किया जाना जिससे कि उपकरण/प्रणाली संयोजित है, ताकि उपकरण/प्रणाली भाग पर कार्य संपादन सुरक्षा पूर्वक किया जा सके।

8.1.3 किसी शंका को सुस्पष्ट करने तथा उसके निवारण की दृष्टि से किसी इकाई की सम्पूर्ण प्रणाली हेतु सामान्य सुरक्षा नियमावली तथा अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ताओं के प्रत्येक स्टेशन हेतु स्थानीय अधिष्ठापना के सुरक्षा नियम (संयोजन स्थल पर अनुपालन किये जाने वाले वे स्थानीय सुरक्षा अनुदेश जिन्हें उप-धारा 10.3 के अंतर्गत विकसित किया गया है, नहीं होंगे) जिन्हें संबंधित इकाईयों द्वारा विकसित किया जावेगा, संबंधित इकाईयों के आंतरिक अभिलेख होंगे (जिन पर किसी बाह्य प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी) तथा ये अभिलेख सीमा-पार सुरक्षा संहिता से सर्वथा भिन्न हैं। इस संहिता, में विभिन्न इकाईयों की आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषयों पर किसी भी प्रकार के प्रावधान नहीं किये गये हैं। किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में यह निर्णय लिये जाने हेतु कि सीमा-पार सुरक्षा संहिता अथवा स्थानीय संस्थापना सुरक्षा नियम के साथ आंतरिक सुरक्षा नियमावली प्रयोज्य होगी, निम्न मानदण्ड अपनाए जायेंगे :

(अ) यदि दोनों अधिष्ठापन (यंत्र अथवा लाईनें) जिन पर कार्य संपादन किया जाना है तथा वह उपकरण जिसके द्वारा सुरक्षा संबंधी सावधानियां संपादित की जा रही हों (पृथक्करण स्विच तथा भू-योजन स्विच) उसी इकाई की प्रणाली में स्थित हैं (एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा एक उपयोगकर्ता संबंधी), ऐसी दशा में इकाई की आंतरिक सुरक्षा नियमावली का अनुसरण किया जावेगा।

(ब) यदि अधिष्ठापन/यंत्र/लाईनें जिन पर कार्य संपादन किया जाना है तथा पृथक्करण स्विच प्रणालियां विभिन्न इकाईयों की प्रणालियों में अवस्थित हों (अर्थात्, एक अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ता की प्रणालियां), ऐसी दशा में सीमा-पार सुरक्षा संहिता लागू होगी।

8.2 सुरक्षा समन्वयक

8.2.1 अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ता प्रत्येक संयोजन बिन्दु हेतु अपने-अपने सुरक्षा समन्वयक पदांकित करेंगे। सुरक्षा समन्वयकों की सूची उनके नाम पते एवं दूरभाष क्रमांक समस्त संबंधितों को प्रसारित किये जावेंगे तथा इसमें कतिपय परिवर्तनों को समस्त संबंधितों को तत्काल अधिसूचित किया जावेगा। प्रत्येक अंतर्संयोजन बिन्दु हेतु दो सुरक्षा समन्वयक होंगे, जिनमें से एक अनुज्ञप्तिधारी की ओर से तथा अन्य उपयोगकर्ता की ओर से होगा।

8.2.2 किसी संयोजन कार्यस्थल पर एक उपयोगकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधि सुरक्षा समन्वयक अंत-प्रणाली लाईन मार्ग प्रशस्त अनुज्ञापत्र (इंटर सिस्टम लाईन क्लियर परमिट-आईएसएलसीपी)

प्रणाली में कार्य सम्पादन हेतु किसी विशिष्ट कार्य हेतु अनुरोधकर्ता सुरक्षा समन्वयक (रिक्वेस्टिंग सेफ्टी कोआरडीनेटर) उसका प्रतिनिधित्व करेगा अथवा समन्वयक बन जावेगा।

- 8.2.3 किसी इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सुरक्षा समन्वयक जो एक अंतर्प्रणाली लाईन मार्ग प्रशस्त अनुज्ञापत्र हेतु अन्य किसी इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अनुरोधकर्ता सुरक्षा समन्वयक से अनुरोध प्राप्त होने पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रचालन तथा अंतर्प्रणाली लाईन मार्ग प्रशस्त अनुज्ञा के मुद्दों पर कार्यवाही करता हो को कार्यान्वयन सुरक्षा समन्वयक (इम्पलिमेंटिंग सेफ्टी कोआरडीनेटर-आईएससी) कहा जावेगा।
- 8.2.4 समस्त सुरक्षा समन्वयक ऊर्जा प्रणाली नेटवर्क के अवयवों की जिसके कि वे प्रभारी हैं, सुसंगत संयोजन स्थलों के कार्यस्थल सामान्य रेखाचित्र (साईट कॉमन डायग्राम्स- एससीडी) तथा एकल रेखाचित्र (सिंगललाईन डायग्राम्स-एसएलडी) की परिपूर्ण जानकारी रखेंगे।

8.3 स्थानीय सुरक्षा अनुदेश

8.3.1 प्रत्येक संयोजन कार्यस्थल हेतु स्थानीय सुरक्षा अनुदेश (लोकल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन्स-एलएसआई) दोनों अनुज्ञापत्रधारी छोर तथा उपयोगकर्ता छोर संबंधी विकसित किये जावेंगे। अर्थात्, इसके अनुसार प्रत्येक संयोजन कार्यस्थल पर दो अभिलेख मौजूद रहेंगे। अनुज्ञापत्रधारी तथा उपयोगकर्ता संबंधित स्थानीय सुरक्षा अनुदेशों का आदान-प्रदान करेंगे। अनुज्ञापत्रधारी का स्थानीय सुरक्षा अनुदेश उपयोगकर्ता के अनुमोदन पश्चात् वैध होगा। उपयोगकर्ता का स्थानीय सुरक्षा अनुदेश अनुज्ञापत्रधारी के अनुमोदन पश्चात् वैध होगा। किसी संयोजन कार्यस्थल के स्थानीय सुरक्षा अनुदेश का पुनरीक्षण कार्य में किये गये किसी परिवर्तन (विस्तार, उन्नयन आदि) के तुरंत उपरांत किया जावेगा तथा इस हेतु अन्य पक्षकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी स्थानीय सुरक्षा अनुदेश भारतीय विद्युत नियम, 1956 के सुसंगत होगा।

8.3.2 अनुज्ञापत्रधारी अथवा उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई प्रारूप स्थानीय सुरक्षा अनुदेश अन्य पक्षकार द्वारा अनुमोदित न किये जाने की दशा में, वह पक्षकार (जिसे अनुमोदन प्राप्त किया जाना है) मूल प्रारूप को इस रूप में पुनरीक्षित करेगा जो कि उसे स्वीकार्य हो। अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित प्रारूप संस्करण प्रस्तुतकर्ता पक्षकार द्वारा स्वीकार किये जाने पर उक्त पाठ लागू हो जावेगा। अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित संस्करण प्रस्तुतकर्ता पक्षकार द्वारा स्वीकार न किये जाने पर एक अधिक संस्करण लागू किया जावेगा।

8.4 अंतर्-प्रणाली लाईन मांग प्रशस्त अनुज्ञापत्र (इंटर-सिस्टम स्टेशन लाईन क्लियर परमिट-आईएसएलसीपी)

8.4.1 अंतर्-प्रणाली लाईन मार्ग प्रशस्त अनुज्ञापत्र एक ऐसा प्रपत्र है जो किसी एक इकाई (अनुज्ञापत्रधारी अथवा उपयोगकर्ता) के प्रतिनिधि (कार्यान्वयन सुरक्षा समन्वयक) द्वारा किसी अन्य इकाई (उपयोगकर्ता अथवा अनुज्ञापत्रधारी) के प्रतिनिधि (अनुरोधकर्ता सुरक्षा समन्वयक) को, पूर्व इकाई द्वारा पृथक्करण तथा भूयोजन प्रक्रियाएं किये जाने के पश्चात् यह संसूचना दिये जाने पर कि प्रणाली की पश्चातवर्ती इकाई के उपकरण के कतिपय भाग पर जिस हेतु अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कार्य सम्पादन किया जाना सुरक्षित है, संबंधी कार्यवाही पश्चात् ही जारी किया जावेगा। एक अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) जारीकर्ता व्यक्ति द्वारा जारी की जाने वाली एक ऐसी प्रत्याभूति, पुष्टीकरण घोषणा तथा प्रमाणीकरण है कि समस्त सुरक्षा पूर्व-सावधानियां, यथा, पृथक्करण व भूयोजन, निष्पादित की जा चुकी हैं तथा यंत्र (सही आयसोलेटर तथा भू-योजन स्विच) उन्हीं स्थितियों में बनाये रखे जावेंगे जैसा कि वे सुरक्षा हेतु विनिर्दिष्ट हैं तथा समस्त प्रचालनों का स्थानीय सुरक्षा अनुदेशों तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुरूप परिपालन कर लिया गया है। प्रत्येक अनुज्ञा पत्र एक विशिष्ट प्रचालन कार्य को संदर्भित करता है तथा एक विशिष्ट अनुक्रमांक, तिथि एवं समय धारित करता है। अनुज्ञा-पत्र (आईएसएलसीपी) के प्रपत्र में दो भाग हैं। प्रथम भाग जारी किये जाने तथा द्वितीय भाग निरस्तीकरण से संबद्ध है।

8.5 अंतर्-प्रणाली अ-वापसी पोषण प्रमाण-पत्र (इंटर-सिस्टम नो बैकफीड सर्टिफिकेट-आईएसएनबीएफसी)

8.5.1 यह निर्धारित प्रपत्र में एक ऐसा अभिलेख है जो यह अभिकथन करता है कि एक विशिष्ट फीडर/यंत्र को किसी विशिष्ट स्रोत (प्रायः एक आलंब/वैकल्पिक स्रोत, अर्थात् सामान्य स्रोत से कोई अतिरिक्त स्रोत) द्वारा प्रभारित नहीं किया जा सकेगा, तदनुसार उक्त विशिष्ट स्रोत से पृथक्करण प्रमाणीकरण करेगा। अंतर्प्रणाली अ-वापसी पोषण प्रमाण पत्र (आईएसएनबीएफसी) उसी प्रपत्र में जारी किया जावेगा जिस पर अंतर्प्रणाली लाईन प्रशस्त अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) जारी किया जाता है तथा प्रपत्र के शीर्ष पर "आईएसएनबीएफसी" का उल्लेख किया जाता है। सही आइसोलेटर को खुला रखा जावेगा तथा इसे खुली स्थिति में तालायुक्त रखा जावेगा। इसकी चाबी को एक ऐसे बक्से में रखा जावेगा जिसे तालायुक्त किये जाने की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त आयसोलेटर हैण्डल पर एक सावधानी सूचना चस्पा की जावेगी। किसी असावधानीपूर्वक बन्द किये जाने संबंधी कृत्य को रोकने हेतु सावधानियां ली जावेंगी, विशेषतः विद्युत-चालित अथवा वायुचालित आयसोलेटिंग स्विचों के संचालन करते समय। चयन किया गया आयसोलेटिंग स्विच इस प्रकार का होगा जहां परस्पर सम्पर्कों के मार्ग (ओपनिंग्स) प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होंगे। आईएसएनबीएफसी ऐसी दशा में लागू होगा जब एक अधिष्ठापन अथवा फीडर के बहुसंख्यक पोषक स्रोत हों तथा किसी एक सुरक्षा समन्वयक द्वारा अन्य सुरक्षा समन्वयक को जारी किया जावेगा। अनुरोधकर्ता सुरक्षा समन्वयक (आरएससी) समस्त सुरक्षा समन्वयकों से समस्त संभव पोषक स्रोतों से संबंधित आईएसएनबीएफसी एकत्र करता है। आईएसएनएफबीसी को जारी करने वाला व्यक्ति फीडर का भूयोजन केवल अनुरोधकर्ता सुरक्षा समन्वयक (आरएससी) से दूरभाष अथवा फैक्स द्वारा यह आश्वासन प्राप्त होने पर ही कि प्रणाली के उक्त भाग को समस्त स्रोतों से पृथक्कृत कर दिया गया है तथा इसे भूयोजन से हटाये जाने से पूर्व प्रभारित नहीं किया जावेगा। सामान्य पोषण से पृथक्कृत किये जाने पर सुसंगत अभिलेख अंतर्-प्रणाली लाईन मार्ग प्रशस्त अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) ही है। कार्यान्वयन सुरक्षा समन्वयक (आईएससी) प्रणाली के कतिपय भाग को जिस पर आईएसएलसीपी की मांग की गई है, भूयोजन करने से पूर्व अनुरोधकर्ता सुरक्षा समन्वयक (आरएससी) से आईएसएनबीएफसी प्राप्त करेगा।

8.6 संयोजन बिन्दु के दोनों ओर के कार्य

8.6.1 अंतर्-प्रणाली लाईन मार्ग प्रशस्त अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) दोनों किसी अनुज्ञाप्तिधारी अथवा उपयोगकर्ता में से किसी एक के द्वारा अन्य पक्षकार को कार्य सम्पादन हेतु जारी किया जावेगा। यदि जारीकर्ता पक्षकार संयोजन बिन्दु से अपनी ओर के कार्य सम्पादन को नियोजित करना चाहे तो ऐसी दशा में जारीकर्ता पक्षकार का सुरक्षा समन्वयक जिसने अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) जारी किया है, अब अन्य इकाई के सुरक्षा समन्वयक को एक अलग क्षमता में (अनुरोधकर्ता सुरक्षा समन्वयक-आरएससी) एक पृथक अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) जारी करने हेतु अनुरोध करेगा। अन्य इकाई का सुरक्षा समन्वयक उसे एक पृथक अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) एक पृथक क्रमांक एवं संकेत (कोड) दर्शाते हुए जारी करेगा जिसके द्वारा पूर्व में अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) कार्यान्वयन सुरक्षा समन्वयक (आईएससी) की क्षमता में जारी किया गया था। दोनों अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) पृथक-पृथक अभिलेख माने जावेंगे तथा ये पृथक क्रमांक एवं संकेत धारित करेंगे। दोनों अनुज्ञा पत्रों (आईएसएलसीपी) के उपकरण तथा प्रणाली भाग एक जैसे ही होंगे। दोनों अनुज्ञापत्रों (आईएसएलसीपी) के निरस्त किये जाने के पश्चात् ही केवल प्रणाली भाग की सुरक्षा सावधानियां हटायी जा सकेंगी। अर्थात्, ऊर्जाकरण हेतु भूयोजन हटाया जाना तथा आयसोलेटरों को बन्द किया जाना, दोनों अनुज्ञा पत्र (आईएसएलसीपी) को निरस्त किये जाने के उपरांत ही किया जावेगा।

8.7 सुरक्षा अभिलेखन (लॉगिंग)

8.7.1 प्रत्येक सुरक्षा समन्वयक एक सुरक्षा अभिलेख (लॉग) संधारित करेगा। सुरक्षा अभिलेख प्रचालन अभिलेख (लॉग) से सर्वथा भिन्न है। सुरक्षा समन्वयकों द्वारा सुरक्षा समन्वयन से संबंधित भेजे गये तथा प्राप्त किये गये समस्त संदेश तथा कार्यान्वित किये गये समस्त प्रचालन को संबंधित सुरक्षा समन्वयकों द्वारा सुरक्षा अभिलेख में तिथि क्रमानुसार अभिलेखित किया जावेगा। सुरक्षा अभिलेखों को कम से कम एक वर्ष की अवधि हेतु सुरक्षित रखा जावेगा। किसी विवाद, दुर्घटना अथवा जांच पड़ताल की दशा में सुरक्षा अभिलेख को सुरक्षित रखा जावेगा अथवा प्रकरण के अंतिम निराकरण होने संबंधित तक प्राधिकारी के पास जमा रखा जावेगा।

धारा 9 : प्रचालन घटनाक्रम तथा दुर्घटना को प्रतिवेदित करना

9.1 उद्देश्य

9.1.1 उन विभिन्न प्रसंगों तथा घटनाओं को (जो वितरण प्रणाली में सदैव घटित होती रहती हैं) जो प्रणाली को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती हैं, को प्रतिवेदित किये जाने संबंधी प्रणाली, उपयोगकर्ताओं से अनुज्ञप्तिधारियों को तथा अनुज्ञप्तिधारियों से उपयोगकर्ताओं को तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्रणाली से संबंधित जानकारी विभिन्न अभिकरणों द्वारा समयबद्ध सूचना के अर्जन हेतु निम्नानुसार अत्यावश्यक है :

(ए) अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुपालन कार्यवाही किया जाना।

(बी) नवीन परिस्थितियों के अनुकूल उत्तरावर्ती नियोजित प्रचालनों में संशोधन करना तथा कतिपय घटना जिसके द्वारा प्राप्त परिणामों के अनुसार प्रणाली प्रभावित हुई है।

(सी) विश्लेषण उपरांत ऐसे प्रसंगों जो प्रणाली को घातक रूप से प्रभावित करते हों, को टालने या उनकी पुनरावृत्ति को कम करने हेतु लिये जाने वाले निवारण उपाय किये जाना।

(डी) पूर्व में घटित घटनाओं के दुष्परिणामों के प्रभाव को कम करने हेतु उपायों का नियोजन किया जाना।

(ई) विनियमन के प्रबोधन को सुगम व सरल बनाना।

यह धारा उन घटनाओं जिन पर अत्याधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके प्रतिवेदन की समय अवधि तथा संबंधित विधि को विनिर्दिष्ट करती है।

9.2 उपयोगकर्ता

9.2.1 घटना प्रतिवेदन संहिता में एक 'उपयोगकर्ता' के सीमित अर्थ हैं तथा इससे अभिप्रेत है अतिरिक्त वोल्टेज अथवा उच्च वोल्टेज उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक केप्टिव शक्ति उत्पादक अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारी जिनका संस्पर्शी प्रदाय क्षेत्र है तथा जिनके मध्य परस्पर ऊर्जा का आदान-प्रदान हो।

9.3 सीमा-पार प्रचालन घटनाक्रम का प्रभाव

9.3.1 किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपयोगकर्ता की प्रणाली में किसी प्रकार की घटना को सीमा-पार प्रचालन प्रभाव निमित्त किया जाना माना जावेगा, यदि इस घटना के कारण किसी अन्य की प्रणाली का प्रचालन उस प्रभाव की अनुपस्थिति में होने वाले प्रभाव से अलग प्रकार से प्रभावित होता हो।

9.4 अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा घटनाओं के वास्तविक समय प्रचालन को प्रतिवेदित करना

9.4.1 घटनाओं की मौखिक सूचना :

समस्त घटनाएं जैसे लघु अथवा वृहद् प्रकार की, समस्त विद्युत प्रदाय बन्द होने संबंधी (ट्रिपिंग), प्रदाय में अवरोध संबंधी, विद्युत प्रदाय ठप्प हो जाने संबंधी जो सीमा-पार प्रचालन प्रभाव निमित्त करते हों अथवा संभावित हों उन्हें उनके घटित होने के उपरांत शीघ्र-अति-शीघ्र दूरभाष से अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपयोगकर्ता के कार्य-प्रचालक (ड्यूटी आपरेटर) द्वारा जिसकी प्रणाली में यह घटना घटित हुई हो अन्य इकाई के सुसंगत कार्य-प्रचालक को संसूचित की जावेगी। सुसंगत कार्य-प्रचालक से अभिप्रेत है प्रणाली के उस भाग का प्रचालक प्रभारी जिसे घटना के संबंध में अद्यतन जानकारी की आवश्यकता उस प्रणाली के भाग को सही रूप से संचालित किये जाने हेतु हो तथा जो घटना से प्रभावित हुआ है तथा जिसका कि वह प्रभारी है।

9.4.2 घटना उपरांत सामान्य परिस्थिति बहाल संबंधी संसूचना :

कोई भी घटना प्रणाली में असमान्य परिस्थिति निमित्त करती है। जैसे ही सामान्य परिस्थिति बहाल हो जावे, उपयोगकर्ता प्रणाली का कार्य प्रचालक इसकी तथ्यात्मक सूचना अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के कार्य-प्रचालक को दूरभाष पर देगा यदि घटना उपयोगकर्ता प्रणाली में घटित हुई हो तथा अनुज्ञप्तिधारी का प्रचालक उपयोगकर्ता प्रचालक को दूरभाष पर सूचना देगा यदि घटना अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में घटित हुई हो।

9.4.3 घटनाओं की सूचना का आंतरिक प्रचार-प्रसार :

प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रत्येक उपयोगकर्ता एक आंतरिक प्रक्रिया विकसित करेगा जिसके अनुसार अन्य इकाई द्वारा सुसंगत सम्पर्क व्यक्ति (कार्य-प्रचालक) को दी गई प्रथम जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जावेगा जिन्हें घटना से संबंधित इस जानकारी की आवश्यकता को प्रणाली की उसी इकाई के अन्य केन्द्रों के प्रभारी व्यक्तियों उनके स्वयं के प्रचालन एवं समन्वयन में उपयोग हेतु आवश्यक होगा।

9.5 घटनाओं का मौखिक तथा लिखित प्रतिवेदन

9.5.1 उपयोगकर्ता द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई कोई भी घटना अथवा कोई भी घटना जो अनुच्छेद 9.6 में उल्लेखित की गई सूची के अंतर्गत आती हो व उपयोगकर्ता प्रणाली में घटित हुई हो, को उपयोगकर्ता के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायी अधिकारी को इसके घटित होने के दो घंटे के भीतर सूचित कर दिया जावेगा।

9.5.2 उपयोगकर्ता एक विस्तृत प्रतिवेदन फ़ैक्स द्वारा अथवा एक प्रमाणीकृत दूरभाष संदेश द्वारा मौखिक संसूचना के छः घंटे के भीतर घटना का विवरण दर्शाते हुए प्रेषित करेगा। फ़ैक्स अथवा दूरभाष संदेश की पुष्टि एक प्रेषित हस्ताक्षरित प्रति द्वारा दो दिवस के भीतर की जावेगी। यह प्रक्रिया एक लिखित प्रतिवेदन को निर्मित करती है। यदि मौखिक सूचना के छः घंटे के भीतर फ़ैक्स द्वारा पूर्ण प्रतिवेदन भेजा जाना संभव न हो सके, तो ऐसी दशा में एक प्रारंभिक प्रतिवेदन छः घंटे के भीतर फ़ैक्स द्वारा प्रेषित किया जावेगा तथा एक विस्तृत प्रतिवेदन 4 दिवस के भीतर प्रेषित किया जावेगा। जब घटना को प्रथम बार मौखिक रूप से संसूचित किया जावे तो अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ता को यह सूचित करेगा कि घटना महत्वपूर्ण नहीं है अतएव वह उपयोगकर्ता को लिखित प्रतिवेदन प्रेषित करने से छूट प्रदान करता है। यदि उपयोगकर्ता घटना को महत्वपूर्ण नहीं समझता हो तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित न करे तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उप-अनुच्छेद 11.6 के उपबंधों के अंतर्गत घटना संबंधी प्रचालन जानकारी प्राप्त होने पर मतभेद प्रकट कर सकेगा व घटना को महत्वपूर्ण मानते हुए उपयोगकर्ता को लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध कर सकेगा। तदोपरांत, उपयोगकर्ता फ़ैक्स द्वारा एक प्रतिवेदन छः घंटे के अंदर प्रेषित करेगा।

9.5.3 इसी प्रकार, अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में होने वाली घटनाओं के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी प्रभावित उपयोगकर्ता के संबंधित अधिकारी को घटना के दो घंटे के भीतर संसूचित करेगा। उपयोगकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को मौखिक सूचना के दो घंटे के भीतर एक लिखित प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने बाबत अनुरोध कर सकेगा। तदोपरांत, अनुज्ञप्तिधारी एक प्रतिवेदन फ़ैक्स द्वारा 6 घंटे के भीतर प्रेषित करेगा तथा यदि फ़ैक्स में समस्त विवरण सम्मिलित न किये जा सकें, तो एक पृथक विस्तृत तथा पूर्ण प्रतिवेदन चार दिवस के भीतर प्रेषित करना होगा।

9.6 उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित प्रतिवेदनों का प्रेषण :

9.6.1 उपयोगकर्ता, अनुज्ञप्तिधारी को मासिक लिखित प्रतिवेदन समस्त महत्वपूर्ण तथा मुख्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेगा। इस हेतु प्रपत्र निम्नानुसार दिया गया है :

- (ए) घटना का स्थल तथा पूर्ववर्ती परिस्थितियां के साथ-साथ मौसम की परिस्थितियों का वर्णन
- (बी) घटना की तिथि तथा समय
- (सी) प्रभावित संयंत्र, उपकरण तथा लाईनों का विवरण
- (डी) विद्युत प्रदाय व्यवधान का विवरण तथा उसकी अवधि, यदि प्रयोज्य हो

- (ई) लघु उत्पादकों तथा केप्टिव शक्ति संयंत्रों के प्रकरण में उत्पादन मात्रा की हानि, यदि प्रयोज्य हो,
- (एफ) घटना का संक्षिप्त विवरण
- (जी) सेवा पुर्नस्थापना में लगा समय। यदि सेवा पुर्नस्थापना न की जा सकी हो, तो पुर्नस्थापना में लगने वाला संभावित समय
- (एच) जब घटना घटित हुई, उस समय सुरक्षा संग्रथनों (इंटरलॉक्स) ने किस प्रकार कार्य किया
- (आई) क्या घटना के पश्चात् प्रचालन अनुदेशों का परिपालन किया गया
- (जे) संयंत्र/उपकरण को हुई क्षति
- (के) रिले प्रचालन/संकेतों के विवरण
- (एल) व्यवधानों (ट्रिपिंग) का अनुक्रम, क्या कास्केड ट्रिपिंग्स घटित हुई है
- (एम) लॉगबुक से संक्षिप्त उद्धरण
- (एन) घटना के कारण, जैसा कि वे उपयोगिता/कंपनी द्वारा विश्लेषित किये गये हैं
- (ओ) औपचारिक उपाय
- (पी) घटना से पूर्व तथा बाद के निष्पादित प्रणाली मानदण्ड

9.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोगकर्ता को लिखित प्रतिवेदनों का प्रेषण :

- 9.7.1 उपयोगकर्ता द्वारा जब तथा जैसा अनुज्ञप्तिधारी को अनुरोध किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी घटना के संबंध में उपयोगकर्ता द्वारा चाहे गये युक्तिसंगत विवरण दर्शाते हुए एक युक्तियुक्त अवधि के भीतर लिखित प्रतिवेदन प्रेषित करेगा।

9.8 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोगकर्ता प्रणाली के अंतर्गत अन्य उपयोगकर्ताओं को घटनाओं संबंधी दी जाने वाली संसूचना :

- 9.8.1 किसी उपयोगकर्ता की प्रणाली में घटित हुई कोई घटना अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली को तथा साथ ही साथ अन्य उपयोगकर्ताओं की प्रणाली को विपरीतात्मक प्रभावित कर सकती है। ऐसे किसी प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी समस्त उपयोगकर्ताओं को जो घटना से प्रभावित हुए हों या उनके प्रभावित होने की संभावना हो, यथा-संभव शीघ्र-अति-शीघ्र वे विवरण सूचित करेगा जो कि अन्य उपयोगकर्ताओं हेतु अत्यावश्यक होंगे तथा जिनमें निम्न भी सम्मिलित होंगे :

- (ए) घटना का संक्षिप्त विवरण, समय तथा तिथि
- (बी) घटना के कारण किस ढंग से अन्य उपयोगकर्ता के प्रभावित होने की संभावना है
- (सी) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य उपयोगकर्ताओं पर घटना से पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को न्यून किये जाने हेतु की गई अनुवर्ती कार्यवाही
- (डी) घटना से हुई निर्मित परिस्थितियों के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रबंधन हेतु समर्थ बनाये जाने हेतु अन्य उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित कार्यवाही

- 9.8.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य उपयोगकर्ताओं को मौखिक संसूचना 12 घंटों के भीतर अथवा यथा-संभव शीघ्र-अति-शीघ्र दी जावेगी तथा लिखित प्रतिवेदन दो दिवस में प्रेषित किये जावेंगे।

9.9 दुर्घटनाएं :

9.9.1 समस्त दुर्घटनाएं (घातक अथवा अघातक प्रकार की) भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुरूप उपयोगकर्ताओं तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रतिवेदित की जाएंगी।

9.10 घटना उपरांत संयुक्त जांच :

9.10.1 घटना के तत्पश्चात्, समस्त प्रभावित उपयोगकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक रूप से जांच को संचालित कर सकेंगे। इस प्रकार से की गई स्वतंत्र जांच इकाइयों के आंतरिक विषय होंगे। यह प्रावधान किया गया है कि किसी घटना की संयुक्त जांच का संचालन उसी दशा में किया जा सकेगा जबकि समस्त पक्षकार इस हेतु सहमति व्यक्त करें। किसी पक्षकार द्वारा संयुक्त जांच हेतु कोई भी प्रस्ताव लिखित में प्रेषित किया जावेगा। इस उप-धारा में वर्णित संयुक्त जांच विवाद निराकरण प्रक्रिया (डिस्प्यूट रेसोल्यूशन प्रोसिजर) तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग अथवा शासन द्वारा आदेशित जांच के अतिरिक्त होगा।

खण्ड 4 : मीटरिंग (मापयंत्रण) एवं संरक्षण संहिता

धारा 10 : वितरण मीटरिंग (मापयंत्रण) संहिता

10.1 आरंभिक :

10.1.1 यह धारा विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु विद्युत मीटरिंग के साथ-साथ वितरण प्रणाली की विभिन्न श्रेणियों तथा समस्त उपयोगकर्ताओं जिनमें खुली पहुंच के क्रेता भी सम्मिलित हैं को विद्युत ऊर्जा प्रदाय हेतु विद्युत मीटरिंग (मापयंत्रण) संबंधी एक समान नीति विनिर्दिष्ट करती है।

10.1.2 राज्य पारेषण इकाई के द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त ऊर्जा, पारेषण मीटरिंग संहिता (विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 5) द्वारा नियंत्रित की जावेगी।

10.2 उद्देश्य :

इस संहिता का उद्देश्य न्यूनतम स्वीकार्य मीटरिंग मानक निर्धारित करना है जो लेखा, वाणिज्यिक, बिलिंग एवं विद्युत ऊर्जा के व्यवस्थापन के प्रयोजन की दृष्टि से प्रणाली मानदण्डों के उपयुक्त मापयंत्रण को प्रभावित करेंगे एवं ऐसी जानकारी प्रदाय करेंगे जो प्रणाली नियोजन को अनुकूलतम बनाने में सहायक होगी।

10.3 विस्तार :

10.3.1 इस संहिता का विस्तार ऐसी पद्धतियों का समावेश करता है जो विभिन्न मानदण्डों, जैसे, सक्रिय/प्रतिक्रियात्मक/प्रत्यक्ष ऊर्जा/शक्ति, पॉवर फैक्टर, वोल्टेज, आवृत्ति के परिमाणन एवं अभिलेखन में प्रयुक्त की जाएंगी तथा वे सुविधाएं जो इस संबंध में प्रदान की जावेगी।

10.3.2 इसका विस्तार मापयंत्र उपकरणों यथा ऊर्जा मापयंत्रों संबंधी उपकरणों, करंट ट्रांसफार्मरों एवं वोल्टेज ट्रांसफार्मरों के अंशांकन, परीक्षण एवं संस्थापन की अर्हताओं को भी विनिर्दिष्ट करती है। अन्य मापयंत्रण संबंधी अर्हताएं जिनमें वाणिज्यिक अर्हताएं भी सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अध्याय 8 के साथ-साथ पठन किया जावेगा।

10.4 मानक निर्देश :

10.4.1 निम्नलिखित भारतीय मानक (अद्यतन संशोधित) मीटरों (मापयंत्रों) तथा संबद्ध उपकरणों हेतु प्रयोज्य होंगे।

सरल क्रमांक	मानक क्रमांक	मानक शीर्षक
-------------	--------------	-------------

1	आई एस 13010	इलेक्ट्रोमैकेनिकल होलकरंट मीटर फॉर क्लास 1 एण्ड 2
2	आई एस 13779	एसी स्टेटिकवॉट ऑवर मीटरर्स फॉर क्लास 1 एण्ड 2
3	आई एस 14697 (1999)	एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड वॉट-ऑवर एण्ड वी ए आर- ऑवर मीटर, क्लास 0.2 एस तथा 0.5 एस
4	आई एस 13779 (1999) आई एस 14697 (1999)	एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड वाट- ऑवर एण्ड वोल्ट एआर- आवर मीटरर्स फॉर क्लास 1.0 एण्ड 0.5
5	आई एस 2705	इण्डियन स्टेण्डर्ड फॉर करंट ट्रांसफार्मर्स
6	आई एस 3156	इण्डियन स्टेण्डर्ड फॉर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स
7	आई एस 9348	इण्डियन स्टेण्डर्ड फॉर कपलिंग कैपेसिटर्स एण्ड कैपेसिटर डिवाइडर
8	आई एस 5547	इण्डियन स्टेण्डर्ड फॉर कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर
9	सी बी आई पी टैकनीकल रिपोर्ट -88	स्पेसिफिकेशन फॉर एसी स्टेटिक इलेक्ट्रीकल एनर्जी मीटरर्स
10	सी बी आई पी टैकनीकल रिपोर्ट - 111	स्पेसिफिकेशन फॉर कॉमन मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट
11	आई एस 9000	बेसिक एन्वायरनमेंटल टेस्टिंग प्रोसिजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इलेक्ट्रीकल आयटम्स

10.4.2 निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय मानक (अद्यतन संशोधित) को मापयंत्र तथा संबंधित उपकरणों के प्रयोजन हेतु लागू किया जा सकता है, तथापि ये भारतीय मानकों का परिपालन नहीं करते अथवा भारत में निर्मित नहीं होते :

सरल क्रमांक	मानक क्रमांक	मानक शीर्षक
1	आई ई सी 687	स्पेसिफिकेशन फॉर एसी स्टेटिक वॉट ऑवर मीटरर्स फार एक्टिव एनर्जी (क्लासेस 0.2 एस एण्ड 0.5 एस)
2	आई ई सी 1036	आल्टरनेटिंग करंट स्टेटिक वॉट-ऑवर मीटर फार एक्टिव एनर्जी (क्लास 1 एण्ड 2)
3	आई ई सी 1268	आल्टरनेटिंग करंट स्टेटिक वॉट ऑवर मीटरर्स फार रीएक्टिव एनर्जी (क्लास 2 एण्ड 3)

10.5 परिभाषाएं :

वे सभी शब्द जो निम्न में परिभाषित नहीं हैं परन्तु इस संहिता में वर्णित हैं, को मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (एमपीईजीसी), मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता (एमपीईडीसी) अथवा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) में यथा परिभाषित समझा जावेगा।

10.5.1 सक्रिय शक्ति (एक्टिव पावर) :

सक्रिय शक्ति से अभिप्रेत है, वोल्टेज तथा आल्टरनेटिंग करंट के अर्न्तफेज घटक का गुणांक जिसका मापन वॉट्स की इकाईयों अथवा मानक गुणांकों में किया जाता है :

1000 वाट (डब्लू)	= 1 किलोवाट (केडब्लू)
1000 किलोवाट (केडब्लू)	= 1 मेगावाट (एमडब्लू)
1000 मेगावाट (एमडब्लू)	= 1 गिगा वाट (जीडब्लू)

10.5.2 सक्रिय ऊर्जा (एक्टिव एनर्जी) :

सक्रिया ऊर्जा से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा जो उत्पादित, प्रवाहित या विद्युत सर्किट के द्वारा एक समय अन्तराल के अंतर्गत प्रदाय की जा रही हो तथा समय के संबंध में तात्कालिक शक्ति से एकीकृत हो जिसका मापन वॉट आवर्स की इकाईयों में अथवा मानक गुणांकों में किया जाता है, जो :

1000 वॉट ऑवर (डब्लू एच) = 1 किलोवॉट आवर (के डब्लूएच) = 1 युनिट

1000 किलोवाट ऑवर (के डब्लूएच) = 1 मेगावॉट ऑवर (एम डब्लूएच)

1000 मेगावाट ऑवर (एम डब्लू एच) = 1 गिगावॉट ऑवर (जी डब्लू एच) = 1 एमयू (मिलियन युनिट)

10.5.3 प्रत्यक्ष शक्ति (अपेरेट पावर) :

प्रत्यक्ष शक्ति से अभिप्रेत है वोल्टेज एवं करंट का गुणांक जिसका मापन वोल्ट एम्पीयर की इकाईयों एवं उसके गुणांकों में किया जाता है, जो :

1000 वोल्ट एम्पीयर (वीए) = 1 किलोवोल्ट एम्पीयर (के वीए)

1000 किलोवाट एम्पीयर (केवीए) = 1 मेगावोल्ट एम्पीयर (एमवीए)

1000 मेगावाट एम्पीयर (एमवीए) = 1 गिगा वोल्ट एम्पीयर (जीवीए)

10.5.4 प्रत्यक्ष ऊर्जा (अपेरेट एनर्जी) :

प्रत्यक्ष ऊर्जा से अभिप्रेत है समय के संबंध में प्रत्यक्ष शक्ति से एकीकृत। इसकी गणना वोल्ट एम्पीयर ऑवर एवं मानक गुणांकों में की जाती है, जो :

1000 वोल्ट एम्पीयर आवर (व्ही एएच) = 1 किलोवाट एम्पीयर आवर (के वी एएच)

1000 किलोवाट एम्पीयर आवर (केवी एएच) = 1 मेगावाट एम्पीयर आवर (एम वी एएच)

1000 मेगावाट एम्पीयर आवर (एमवी एएच) = 1 गिगा वोल्ट एम्पीयर आवर (जी वी एएच)

10.5.5 आंकड़ा प्रक्रिया विधि प्रणाली (डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम- डीपीएस) :

आंकड़ा प्रक्रिया विधि प्रणाली से अभिप्रेत है एक कम्प्यूटर प्रणाली जो आंकड़े मानव चालित विधि (मेनुअली) द्वारा प्राप्त करे अथवा सीएमआरआई से डाऊनलोड करे अथवा सुदूर संचार नेटवर्क के माध्यम से पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए बनी हो व डाऊनलोड किये गये कच्चे आंकड़ों को मानक आऊटपुट प्रपत्र (उदाहरणतया एएससीआई, सीएसवी) में परिवर्तित करे तथा विभिन्न गणनाओं, विश्लेषण एवं प्रदर्शन हेतु आंकड़ों का उपचार करे।

10.5.6 संयुक्त मापयंत्र वाचन उपकरण (कॉमन मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट-सीएमआरआई या एमआरआई) :

संयुक्त मापयंत्र वाचन उपकरण से अभिप्रेत है ऐसा उपकरण मय आवश्यक सहायक उपकरणों के जो विभिन्न बनावटों के एसी स्थिर ऊर्जा मापयंत्रों के आंकड़ों/जानकारी को डाऊनलोड किये जाने में सक्षम है, जब इसे तत्संबंधी मापयंत्र विशिष्ट डाऊनलोडिंग साफ्टवेयर(स) जिसे मापयंत्र वाचन उपकरण प्रोग्राम(स) कहा जावेगा के साथ लोड किया जावे। संयुक्त मापयंत्र वाचन उपकरण मापयंत्र की स्मृति (मैमरी) से ऊर्जा आंकड़े, भार सर्वेक्षण आंकड़े, बिलिंग मानदण्ड, मापयंत्र की अद्यतन स्थिति, मापयंत्र विसंगति एवं मीटर से छेड़छाड़ संबंधी आंकड़े निकाल सकता है तथा बाद में इन्हें पुनःप्रतिष्ठापन (रिटरीबल) हेतु संग्रहित (स्टोर) कर सकता है।

10.5.7 मांग एकीकरण अवधि (डिमांड इंटेग्रेशन पीरियड) :

मांग एकीकरण अवधि से अभिप्रेत है वह अवधि जिसमें सक्रिय, प्रतिक्रियात्मक अथवा प्रत्यक्ष शक्ति के एकीकरण द्वारा औसतीकरण हेतु ऊर्जा मान निकाला जावे। व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु, प्रत्येक मांग एकीकरण अवधि 15 मिनट की होगी जो 00.00 बजे से आरंभ होगी।

10.5.8 मांग मूल्य :

- (अ) ऊर्जा के रूप में मांग मूल्य : ऊर्जा मांग से अभिप्रेत है किसी मांग अवधि के अंतर्गत आहरित सक्रिय ऊर्जा, प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा अथवा प्रत्यक्ष ऊर्जा जिसमें से एक 00.00 बजे से आरंभ होगी।
- (ब) शक्ति के रूप में मांग मूल्य : शक्ति मांग से अभिप्रेत है किसी मांग अवधि के अंतर्गत आहरित सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति अथवा प्रत्यक्ष शक्ति जिसमें से एक 00.00 बजे से आरंभ होगी।

10.5.9 उपकरण ट्रांसफार्मर :

करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) अथवा वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) ।

10.5.10 उच्चतम मांग (मैक्सिमम डिमांड-एमडी) : किलोवॉट/केवीए में

उच्चतम मांग (एमडी) से अभिप्रेत है औसत किलोवॉट अथवा केवीए में जैसा लागू हो, उच्चतम मान जो किसी उपभोक्ता को माह में किसी मांग एकीकरण अवधि के अंतर्गत (अथवा किसी अन्य विचाराधीन अवधि के अंतर्गत/बिलिंग चक्र) मांग मापन के स्लाईडिंग विण्डो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर वितरित की जा रही है।

10.5.11 मापयंत्र (मीटर) :

मापयंत्र से अभिप्रेत है ऐसा यंत्र जो द्वि-दिशात्मक सक्रिय ऊर्जा, प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा, प्रत्यक्ष ऊर्जा, सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, आवृत्ति अथवा अन्य कोई विद्युत मानदण्ड जो इन भापकों से व्युत्पादित (डैराइव्ड) हो, का मापन करे ।

10.5.12 मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) एवं जांच मापयंत्र (चेक मीटर) :

प्राथमिक मापयंत्र जो बिलिंग के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता हो, को मुख्य मापयंत्र कहा जाता है। जांच मापयंत्र का उपयोग मुख्य मापयंत्र के सहायक मापयंत्र के रूप में बिलिंग के प्रयोजन से किया जाता है यदि मुख्य मापयंत्र असफल हो जावे अथवा त्रुटिपूर्ण दिशा में प्रचालित हो रहा हो अथवा ऐसी त्रुटि दर्शा रहा हो जो अनुज्ञेय सीमाओं से बाहर हो।

10.5.13 मापयंत्र उपस्कर (मीटरिंग इक्विपमेंट) :

मापयंत्र उपस्कर से अभिप्रेत है ऊर्जा मापयंत्रों का सेट, संबद्ध उपकरण ट्रांसफार्मर तथा केबलिंग, मापयंत्रों हेतु स्थानीय नेटवर्क संबंधी उपस्कर तथा संबद्ध वायरिंग।

10.5.14 मापयंत्रण बिन्दु (मीटरिंग प्वाइंट) :

वास्तविक मापयंत्र बिन्दु से अभिप्रेत है करंट एवं वोल्टेज संवेदन यंत्र (जैसे सी.टी., वी.टी.) एवं मापयंत्र जिन पर विद्युत का मापन मापयंत्र द्वारा किया जाता हो।

10.5.15 एमपीपीटीसीएल (मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड)

एमपीपीटीसीएल से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।

10.5.16 प्रचालनयुक्त मापयंत्रण (आपरेशनल मीटरिंग)

मापयंत्र उपस्कर एवं संबद्ध सहायक यंत्र (कतिपय टैरिफ मापयंत्र को छोड़कर) जिसे उपकेन्द्र पर निम्न प्रयोजन से स्थापित किया गया है :

- (अ) प्रचालनयुक्त एवं प्रणाली नियंत्रण हेतु
- (ब) प्रबोधन एवं मानवयुक्त अभिलेखन हेतु
- (स) ऊर्जा के अंकक्षण तथा लेखांकन हेतु
- (द) कृषि खपत का निर्धारण (जिसे वितरण ट्रांसफॉर्मर के 11/0.4 केवी के उच्चवोल्टेज या निम्न वोल्टेज पक्ष की ओर अधिष्ठापित किया गया है)

10.5.17 सम्पूर्ण शुद्धता

कतिपय प्रदत्त मापयंत्रण प्रणाली हेतु मापयंत्र, संबद्ध उपकरण ट्रांसफॉर्मर तथा केबलिंग की संयुक्त शुद्धता

10.5.18 प्रतिक्रियात्मक शक्ति (रिएक्टिव पावर) :

प्रतिक्रियात्मक शक्ति से अभिप्रेत है, वोल्टेज तथा करंट तथा उनके बीच नापे गये फेज कोण के साइन (Sine) का गुणनफल जिसे वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव (रि) इकाई तथा उसके मानक गुणकों में मापा जावे, अर्थात् :

1000 वोल्ट एम्पीयर (रि) (वीएआर)	= 1 किलोवोल्ट एम्पीयर (रि) (केवीएआर)
1000 किलोवोल्ट एम्पीयर (रि) (केवीएआर)	= 1 मेगावोल्ट एम्पीयर (रि) (एमवीएआर)
1000 मेगावोल्ट एम्पीयर (रि) (एमवीएआर)	= 1 गिगावोल्ट एम्पीयर (रि) (जीवीएआर)

10.5.19 प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा (रिएक्टिव एनर्जी) :

प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा से अभिप्रेत है, समय के संबंध में प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा का इन्टीग्रल। इसका मापन वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव आवरर्स (रिआ) तथा उसके मानक गुणकों में किया जाता है, अर्थात् :

1000 वोल्ट एम्पीयर (रिआ) – वी ए रिआ	= 1 किलोवोल्ट एम्पीयर (रिआ) – के वी ए रिआ
1000 किलोवोल्ट एम्पीयर (रिआ) – के वी ए रिआ	= 1 मेगावोल्ट एम्पीयर (रिआ) – एम वी ए रिआ
1000 मेगावोल्ट एम्पीयर (रिआ) – एम वी ए रिआ	= 1 गिगावोल्ट एम्पीयर (रिआ) – जी वी ए रिआ

10.5.20 टी ओ डी टैरिफ अथवा टी.ओ. यू. टैरिफ :

टी.ओ.डी. से अभिप्रेत है, टाईस ऑफ डे तथा टी.ओ. यू. से अभिप्रेत है टाईम ऑफ यूज, जिसका अभिप्रेत है दिन के समय भिन्न उपयोग अवधि में भिन्न टैरिफ।

10.6 ऊर्जा मापयंत्रों की स्थापना का अधिकार :

10.6.1 उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मापयंत्र उपस्कर के अधिष्ठापन हेतु उसे उनके परिसर, मापयंत्र प्रणाली तथा सहायक विद्युत उपकरण पर वांछित पहुंच उपलब्ध करा आवश्यक सहायता उपलब्ध

करायेगा। मीटर स्थापना तथा अन्य आवश्यकताओं के संबंध में "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता" का अध्याय 8 देखें।

10.7 मापयंत्र स्थलों पर सुविधाओं का उपलब्ध किया जाना :

- 10.7.1 उपभोक्ता मापयंत्र प्रणाली हेतु आवश्यक स्थान, स्वामित्व तथा मापयंत्र प्रणाली से असंबद्ध, उपलब्ध करायेगा। यदि मापयंत्र का विद्युतीकरण बाह्य प्रदाय द्वारा किया जाना हो तो आवश्यक सहायक विद्युत प्रदाय का विस्तार मापयंत्र प्रणाली तक किया जावेगा।
- 10.7.2 मापयंत्रों का परीक्षण, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार निर्धारित निम्न समय अंतराल के अनुसार कार्यान्वित किया जावेगा :
- (अ) उच्चदाब मापयंत्र, एमडीआई को सम्मिलित कर – एक वर्ष में न्यूनतम एक बार
- (ब) निम्न वोल्टेज, तीन फेज मीटर – 3 वर्ष में न्यूनतम एक बार
- (स) निम्न वोल्टेज, एकल फेज मीटर – 5 वर्ष में न्यूनतम एक बार
- 10.7.3 उपभोक्ता मापयंत्रण उपस्कर तथा सीलबंद व्यवस्था की उचित सुरक्षा एवं बचाव हेतु उत्तरदायी होगा।
- 10.7.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसकी सील तथा सीलबंद व्यवस्था के प्लायरों को जारी करने संबंधी नियंत्रण करेगा तथा इस हेतु ऐसे समस्त प्लायरों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची जिन्हें ये जारी किये गये हों, की उचित पंजी/अभिलेख रखेगा।

10.8 आंकड़ों की संग्रहण प्रणाली तथा आंकड़ों को डारुनलोड किया जाना :

- 10.8.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता मीटरों का वाचन उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगा। मापयंत्रों अथवा उनके भण्डारित आंकड़ों का पाठन व्यक्तिशः अथवा संयुक्त मापयंत्र पाठन उपकरणों (सीएमआर आई) के उपयोग द्वारा मापयंत्र आर्पीकल पोर्ट सुदूर मापयंत्रण यंत्रों के माध्यम से प्राधिकृत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा।

10.9 मापयंत्र प्रणाली का प्रचालन तथा संधारण :

- 10.9.1 मापयंत्रों के प्रचालन एवं संधारण का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण वितरण अनुज्ञप्तिधारी का होगा।
- 10.9.2 मापयंत्र प्रणाली के प्रचालन तथा संधारण में सम्मिलित होगा— मापयंत्र प्रणाली का उचित अधिष्ठापन व नियमित संधारण, सीटी, वीटी एवं मापयंत्रों में त्रुटियों की जांच, नियंत्रण केबल्स को उचित रूप से विछाया/डाला जाना तथा तत्संबंधी सुरक्षा, मापयंत्र बक्से तथा संलग्नकों के संयोजनों की अवस्था व सीलों की अवस्था की सफाई करना, नियमित/दैनिक मापयंत्र वाचन तथा सीएमआरआई एवं डीपीएस से आंकड़ों को पुनः प्रतिष्ठापित करना, मापयंत्र प्रणाली के विच्छेद/दोष का निवारण करना आदि।

10.10 मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के उपबंध :

- 10.10.1 मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में दर्शाये गये उपबंध, जो मापयंत्र प्रणाली हेतु सुसंगत होंगे, प्रयोज्य होंगे।
- 10.11 समस्त नवीन मापयंत्रों के मापयंत्रण एवं अभिलेख मानक जो इस संहिता की अधिसूचना से तीन माह के उपरांत अधिष्ठापित किये जावेंगे निम्न तालिका के अनुसार होंगे :

तालिका-1

वोल्टेज स्तर	संयोजित भार	मापयंत्र मानदण्ड
उच्चदाब	समस्त	(ए) टीओडी (बी) केवीए (एमडी)

		(सी) ओसत पीएफ (डी) के डब्लू एच (ई) संगतता (हारमोनिक्स) (एफ) आर के वी ए एच
निम्नदाब	25–100 किलोवॉट	(ए) टो ओ डी (बी) के वी ए (एमडी) (सी) औसत पी एफ (डी) के डब्लू एच (ई) आर के वी ए एच
	15–25 किलोवॉट	(ए) टो ओ डी (बी) के वी ए (एमडी) (सी) औसत पी एफ (डी) के डब्लू एच (ई) आर के वी ए एच
	3–15 किलोवॉट	(ए) के डब्लू (एमडी) (बी) औसत पी एफ (सी) के डब्लू एच
	0–3 किलोवाट, केवल घरेलू एवं गैर घरेलू हेतु	(ए) के डब्लू (एमडी) (बी) के डब्लू एच

10.11.1 विभिन्न उपभोक्ताओं श्रेणियों हेतु समस्त मापयंत्रों तथा उपकरण ट्रांसफार्मरों की परिशुद्धता श्रेणी निम्न दर्शाई गई तालिका 2 एवं 3 के अनुसार होगी :

तालिका-2 निम्नदाब, उच्चदाब एवं अतिरिक्त उच्चदाब मापयंत्रों की परिशुद्धता श्रेणी

उपभोक्ताओं का प्रकार	मापयंत्रों की परिशुद्धता श्रेणी	
	समस्त नवीन मापयंत्रों हेतु जो इस संहिता का अधिसूचना तिथि उपरांत अधिष्ठापित किये जावेंगे	समस्त मापयंत्रों हेतु जो इस संहिता की अधिसूचना तिथि को विद्यमान है
निम्नदाब (पूर्ण करंट हेतु)	1.0	2.0
निम्नदाब (सीटी चालित)	1.0	1.0
उच्चदाब उपभोक्ता	0.5	0.2
अतिरिक्त उच्चदाब उपभोक्ता	0.2	0.2
अर्त-उपयोगिता (इंटर-युटिलिटी)	0.2	0.2

तालिका - 3 करंट एवं वोल्टेज ट्रांसफार्मरों (उपकरण ट्रांसफार्मर) हेतु परिशुद्धता श्रेणी

उपभोक्ता का प्रकार	मापयंत्रों से संबद्ध उपकरण ट्रांसफार्मरों की परिशुद्धता श्रेणियां	
	समस्त नवीन मापयंत्रों हेतु जो इस संहिता की अधिसूचना तिथि उपरांत अधिष्ठापित किये जावेंगे	समस्त मापयंत्रों हेतु जो संहिता की अधिसूचना तिथि को विद्यमान है
निम्नदाब उपभोक्ता	2.0	1.0
उच्चदाब उपभोक्ता	0.5	1.0
अतिरिक्त उच्चदाब उपभोक्ता	0.2	0.5
अर्त-उपयोगिता	0.2	0.2

10.12 उच्चदाब उपभोक्ताओं के मापयंत्रण (मीटरिंग) का प्रकार :

- 10.12.1 समस्त उच्चदाब/अतिरिक्त उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु, मापयंत्रण उपकरण द्वि-पोल ढांचे पर लगाये गये पैनल पर संस्थापित बाह्य द्वारा (आऊट डोर) स्थापित प्रकार का होगा जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी की लाईन उपभोक्ताओं के परिसर के समीप समाप्त हो।
- 10.12.2 मापयंत्रण हेतु उपयोग में लाये गये करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) केवल एकल अनुपात (सिंगल रेशो) के होंगे। विद्यमान मापयंत्र उपकरण, जो उच्चतर अनुपात के करंट ट्रांसफार्मर हेतु वर्तमान में कार्यरत है, को उपयुक्त सीटी अनुपात में उपरोक्त दर्शाये अनुसार प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।
- 10.12.3 सीटी/पीटी इकाईयां अधिमानतः शुष्क प्रकार की होंगी जिसमें कार्यस्थल पर सामान्य संधारण समस्याओं को न्यूनतम किया जा सकेगा। यदि शुष्क प्रकार की इकाई उपलब्ध नहीं हो, तो अर्द्धशुष्क सीलयुक्त प्रयोग में लाई जा सकेगी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ग्रेड तेल का उपयोग विनिर्दिष्ट किया जावेगा, जहाँ तेल की आवश्यकता हो।
- 10.12.4 सीटी/पीटी इकाईयां, गुमटियां (किओस्क) आदि यदि वे उपभोक्ता द्वारा अधिग्रहित की जाती हैं तो वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप होंगी तथा इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदित विक्रेता से ही अधिग्रहित किया जावेगा।
- 10.12.5 उपभोक्ता परिसरों में बाह्य द्वारा स्थापित 33 केवी/11 केवी बाह्य द्वारा स्थापित करंट ट्रांसफार्मरों (सीटी) एवं पोटेंशियल ट्रांसफार्मरों (पीटी) अथवा सीटी/पीटी इकाईयों हेतु :
- (अ) केवल कवचयुक्त (आर्मरड) केबल ही सीटी एवं पीटी अथवा सीटी /पीटी इकाईयां को मापयंत्र बाक्स/नियंत्रण पैनल से संयोजन हेतु उपयोग किये जावेंगे। केबल को भूमिगत नहीं रखा जावेगा।
- (ब) सीटी एवं पीटी अथवा सीटी/पीटी इकाईयों के मार्शलिंग बॉक्स में केबल का प्रवेश तथा इसके साथ ही मापयंत्र बॉक्स/नियंत्रण पैनल ग्लैण्ड एवं चेक नटों के माध्यम से किया जावेगा जिसे कि आगे एपोक्सी कंपाउण्ड एवं अन्य सीलिंग व्यवस्थाओं जैसे लैड सील्स / प्लास्टिक सील्स आदि द्वारा सीलबद्ध किया जावेगा।
- (स) सीटी एवं पीटी अथवा सीटी/पीटी इकाईयां तथा मापयंत्रों को उनके स्थापन स्थल, भारतीय विद्युत नियमों आदि को दृष्टिगत रखते हुए परस्पर निकटतम रखा जावेगा।
- 10.12.6 उच्चदाब मापयंत्र इकाईयों सीटी/पीटी इकाई तथा स्वयं मीटर को सम्मिलित करते हुए द्वि-पोल ढांचे पर इस प्रकार संस्थापित किया जावेगा ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी स्थल पर बिना उच्चदाब उपभोक्ता के कर्मियों की सहायता प्राप्त किये बिना पहुंच सकेंगे। इस स्थल को बाहर से प्रत्यक्ष दृष्टिमान होना चाहिए।
- 10.13 निम्नदाब उपभोक्ताओं के मापयंत्रण (मीटरिंग) का प्रकार :**
- 10.13.1 मापयंत्र उपकरण की संस्थापना किया जाना तथा उसका स्थल चयन मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार नियंत्रित किया जावेगा।
- 10.13.2 मापयंत्रों एवं करंट ट्रांसफार्मरों (सीटी) की संस्थापना एक मानकीकृत सुरक्षित (जिसे चोरी न किया जा सके) पिल्फ्रेजप्रूफ द्वि-प्रकोष्ठ सीटी मापयंत्र बॉक्सों में की जावेगी।
- 10.13.3 मीटर बक्से द्वि-सील युक्त होंगे ताकि उपभोक्ता यह बहाना न कर सकेगा कि सील अनजाने में अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कर्मचारी जो मापयंत्र वाचन हेतु जाते हों द्वारा खण्डित कर दी गई थी। समस्त करंट ट्रांसफार्मर तथा मापयंत्रों को भी सीलबद्ध किया जावेगा।

- 10.13.4 करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) का निर्धारित वीए भार, परिशुद्धता श्रेणी एवं लघु-परिपथ (शार्ट-सर्किट) को सहने का स्तर आवश्यकता एवं सुसंगत मानकों के अनुरूप आधारित होगा। सीटी को अधिष्ठापन से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा यथोचित उसका परीक्षण किया जावेगा।
- 10.13.5 विभिन्न भारों हेतु सीटी अनुपात का चयन निम्नानुसार किया जावेगा। सीटी को उच्चतर अनुपात की सीटी से प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी कार्यवाही भार की उच्चतर सीमा 80 प्रतिशत पार हो जाने पर निम्नानुसार की जावेगी:
- | | | |
|--|---|-------------------|
| 25 अश्वशक्ति से अधिक तथा 35 अश्वशक्ति से अनाधिक | : | 50/5 एम्पीयर (ए) |
| 30 अश्वशक्ति से अधिक तथा 45 अश्वशक्ति से अनाधिक | : | 60/5 एम्पीयर (ए) |
| 40 अश्वशक्ति से अधिक तथा 55 अश्वशक्ति से अनाधिक | : | 75/5 एम्पीयर (ए) |
| 55 अश्वशक्ति से अधिक तथा 75 अश्वशक्ति से अनाधिक | : | 100/5 एम्पीयर (ए) |
| 75 अश्वशक्ति से अधिक तथा 100 अश्वशक्ति से अनाधिक | : | 150/5 एम्पीयर (ए) |
- 10.13.6 सेवा लाईन पीवी केबल्स की होगी जिसे उपभोक्ता परिसर में सहायक इस्पात तार की सहायता से 1.5 इंच खड़ी जी.आई. पाईप द्वारा जो उपभोक्ता परिसर में अधिष्ठापित की जावेगी द्वारा मापयंत्र बाक्स में लाई जावेगी। सेवा लाईनें इस प्रकार स्थापित की जावेगी जिससे मार्गों/गलियों में सेवा लाईनों में नियमों के अनुसार न्यूनतम अंतर संधारित किया जावेगा।
- 10.13.7 समस्त छोरों (टर्मिनलों) को प्रेस द्वारा दबाया जाकर (क्रिम्पल्ड)समाप्त किया जावेगा।
- 10.13.8 लौह आवरणयुक्त स्विच/एमसीबी को केवल मापयंत्र के पश्चात ही स्थापित किया जावेगा।

10.14 विवाद निवारण हेतु तंत्र

- 10.14.1 राज्य पारेषण इकाई/अन्य इकाईयों से मापयंत्रण संबंधी कतिपय विवादों का निराकरण मध्यप्रदेश ग्रिड संहिता, वितरण संहिता एवं प्रदाय संहिता में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जावेगा। इस संहिता के उपबंध समस्त विद्यमान एवं भावी क्रेताओं तथा प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को बंधनकारी होंगे। अ-निराकृत विवादों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 10.14.2 उपभोक्ता मापयंत्रण से संबंधित किसी विवाद का निराकरण "उपभोक्ता शिकायत निवारण संबंधी दिशा निर्देश-गाईडलाईन्स फॉर रिट्रेसल ऑफ कंस्यूमर ग्रिवेंस" सहपठित "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता" के अनुसार किया जा जावेगा।

10.15 वितरण मीटरिंग (मापयंत्र) संहिता का क्रियान्वयन

- 10.15.1 इस संहिता का अनुपालन न करने वाली विद्यमान मापयंत्रण प्रणाली हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को एक समयबद्ध कार्य योजना मापयंत्र उपकरण को बदलने हेतु चरणबद्ध रूप से महत्वपूर्ण तथा भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, जैसे खुला विद्युत बाजार, विद्युत अधिनियम 2003 की अर्हताएं राज्य में ए.बी.टी. का कार्यान्वयन, अन्य टैरिफ संरचनाएं (टाईम आफ डे, मौसमी) प्रदाय की गुणवत्ता का प्रबोधन, सुदूर प्रबोधन/नियंत्रण आदि प्रस्तुत करेगा।
- 10.15.2 मापयंत्रण प्रणाली की कतिपय नवीन प्राप्तियों (प्रोक्यूरमेंट) हेतु, यह संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जावेगी।
- 10.15.3 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथरिटी-सीईए) ने भी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 (1) की अर्हताओं के अनुसार मापयंत्रों के प्रचालन तथा अधिष्ठापन हेतु प्रारूप विनियम अधिसूचित किया है। यदि इस संहिता का कोई उपबंध केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बाद में किसी

तिथि को अंतिम रूप से जारी विनियम के किसी उपबंध से विसंगत हों तो ऐसी दशा में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से जारी विनियम के उपबंध प्रचलित होंगे।

धारा 11 : वितरण सुरक्षा संहिता

11.1 परिचय :

11.1.1 वितरण प्रणाली व उपयोगकर्ता प्रणाली को दोषों से सुरक्षा रखे जाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सुरक्षा के न्यूनतम मानक अपनाए जावें। यह धारा न्यूनतम मानकों को वर्णित करती है।

11.2 सामान्य सिद्धांत :

11.2.1 विद्युत उपकरण के किसी भी अंश को राज्य पारेषण प्रणाली से संयोजन की अनुमति तब तक न दी जा सकेगी जब तक कि वह न्यूनतम विनिर्दिष्ट संरक्षण के अंतर्गत उसकी सुरक्षा रिले/यंत्रों की विश्वसनीयता, उपयुक्त चयन, गति एवं संवेदनशीलता के उद्देश्यों की पूर्ति न कर ले। वितरण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से सुरक्षा रिले/संयंत्रों के संरक्षण की सही तथा उपयुक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने में अपना सहयोग इस भाग में विनिर्दिष्ट निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रभावशाली, दोषपूर्ण लाईन/उपस्कर के प्रभावशील विभेदी पृथक्करण की उपलब्धि हेतु प्रदान करेगा।

11.2.2 संरक्षण रिले की व्यवस्थाओं में न तो कोई परिवर्तन किया जावेगा अथवा संरक्षण से बचने का उपाय किया जावेगा और/या समस्त प्रभावित उपभोक्ताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श एवं आपसी सहमति के बिना इसे असंयोजित किया जा सकेगा। यदि संरक्षण से बचने के उपाए किये गये हों और/या आपसी सहमति से इसे असंयोजित किया गया हो तो उसका सुधार किया जाकर संरक्षण की सामान्य परिस्थितियां यथासंभव शीघ्र-अति-शीघ्र बहाल की जायेंगी। यदि कोई अनुबंध न किया गया हो तो ऐसी दशा में विद्युत उपकरण को सेवा से तत्काल पृथक्कृत कर दिया जावेगा।

11.2.3 33 केवी तथा 11 केवी लाईनों हेतु संरक्षण की व्यवस्थाएं ऐसी होंगी जिससे किसी अनुभाग में होने वाली कोई भी त्रुटि समस्त परिस्थितियों में उत्पादन इकाई/पोषण उपकेन्द्र में ऊपरी अनुभाग तथा त्रुटिपूर्ण अनुभाग के मध्य विद्युत प्रवाह को प्रभावित न करे। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रारंभिक व्यवस्थाओं तथा अनुवर्ती परिवर्तनों बाबत वितरण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर अधिसूचित करेगा। संरक्षण रिले के निष्पादन पर किये जाने वाली सामान्य जांचें संचालित की जावेंगी तथा किसी प्रकार के विपरीत निष्पादन की टीप की जावेगी तथा यथासंभव शीघ्र-अति-शीघ्र इसमें सुधार किया जावेगा। आवश्यक लघु-परिपथ (शाट-सर्किट) अध्ययन जो रिले व्यवस्थाओं के निर्धारण हेतु आवश्यक होंगे, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ताओं से एकत्र किये गये आंकड़ों के आधार पर संचालित किये जावेंगे। उत्पादन कंपनियों, ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधि नियतकालिक बैठकें ऐसे विपरीत निष्पादन, प्रणाली के विशिष्ट स्वरूप में कतिपय परिवर्तनों हेतु, यदि कोई हों तथा रिले की संभावित पुनरीक्षित व्यवस्थाओं पर चर्चा हेतु आयोजित करेंगे।

11.2.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य सुरक्षा के समन्वयन के संबंध में चर्चा हेतु नियतकालिक बैठकें आयोजित किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी संरक्षण पर किसी विपरीत निष्पादन अथवा अन्य असमाधानकारक विषयों पर जांच करेगा। अनुज्ञप्तिधारी इन नियतकालिक बैठकों में चर्चित एवं सहमत विषयों पर तत्काल क्रियान्वयन संरक्षण में किसी विपरीत निष्पादन अथवा गतिविधि में संशोधन किये जाने हेतु करेगा।

11.2.5 वितरण प्रणाली से संयोजित समस्त उत्पादन इकाईयां तथा उत्पादन कंपनी से संबंधित समस्त विद्युत उपकरण पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था द्वारा सीबीआईपी नियमावली प्रकाशन 274 के अनुसार संरक्षित किये जावेंगे ताकि प्रणाली की उत्पादन इकाई से उद्भूत होने वाले किसी विक्षोभ से हानि न पहुंचे।

- 11.2.6 वितरण प्रणाली में ऊर्जा ट्रांसफार्मरों के लिए 7.5 एमवीए अथवा उससे अधिक हेतु विभेदक (differential) संरक्षण तीन फेज आईडीएमटीएल अति करंट एवं भूयोजन त्रुटि संरक्षण हेतु प्रदान किया जावेगा। समानांतर प्रचालन द्वारा संचालित ऊर्जा ट्रांसफार्मरों में दिशात्मक विशिष्टता होगी।
- 11.2.7 एमवीए क्षमता 1.0 से अधिक परन्तु 7.5 एमवीए से कम क्षमता के ट्रांसफार्मर गैर-दिशात्मक आईडीएमटी अति करंट रिले (3 की संख्या में) एवं भूयोजन त्रुटि रिले (एक की संख्या में) दोनों उच्च वोल्टेज एवं निम्न वोल्टेज तल पर संरक्षित किये जावेंगे।
- 11.2.8 इसके अतिरिक्त 1.0 एमवीए तथा उससे अधिक क्षमता के समस्त ट्रांसफार्मरों में उपरोक्त उल्लेखित रिले के अतिरिक्त बुचोलज रिले वाईडिंग तापमान एवं तेल तापमान संरक्षण प्रदान किये जावेंगे जहां जहां सर्किट ब्रेकर विद्यमान हैं।
- बशर्ते यह कि विद्यमान ट्रांसफार्मरों हेतु जहां उपरोक्त दर्शाये अनुसार संरक्षण उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त संरक्षण को संरक्षण समन्वयन समिति में विचार विमर्श हेतु लाया जावेगा तथा इसे चरणबद्ध ढंग से 3 वर्ष के भीतर प्रदान किया जावेगा।
- 11.2.9 प्रारंभिक अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र से 33 केवी एवं 11 केवी लाईनों का समन्वयन मुख्य उपकेन्द्र उपकरण/ अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पारेषण लाईनों का वितरण फीडरों से विलम्बित त्रुटि (फॉल्ट) समाशोधन सीधे त्रुटियों द्वारा अवरोध (ट्रिपिंग) को रोके जाने को सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से किया जावेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उच्च वोल्टेज प्रणाली के 33 केवी एवं 11 केवी ट्रांसफार्मरों एवं लाईनों (अथवा उनके विभाजन बिन्दुओं पर) पर राज्य पारेषण इकाई उपकेन्द्रों के 33 केवी तथा 11 केवी हेतु प्रदाय की गई संरक्षण व्यवस्थाओं के साथ समन्वयन किया जावेगा।
- 11.2.10 समस्त 33 केवी एवं 11 केवी लाईनों के संयोजन बिन्दुओं पर न्यूनतम अति करंट तथा भूयोजन त्रुटि (फाल्ट) रिले निम्नानुसार प्रदान किये जावेंगे :
- (अ) असमानांतर त्रैज्य (रेडियल) फीडरों हेतु : द्वि-फेज अन-दिशात्मक समय-अन्तर (टाईम लैग) अति करंट तथा एकल दिशात्मक आईडीएमटी भूयोजन त्रुटि रिले के साथ समय विभेदीकरण प्राप्ति हेतु । तत्क्षण उच्च स्थिर तत्व (सेट एलीमेंट) असमानांतर फीडरों पर प्रदान किया जावेगा।
- (ब) समानांतर फीडर/चक्र फीडर : द्वि-फेज दिशात्मक समय-अन्तर अतिकरंट एवं एकल दिशात्मक आईडीएमटी भूयोजन त्रुटि रिले मय तत्क्षण उच्च स्थिर तत्व के।
- (स) अधिक लम्बाई के फीडर/ ट्रांसफार्मर फीडर : अधिक लम्बाई के फीडरों अथवा ट्रांसफार्मर फीडरों हेतु रिले दिशात्मक समय-अन्तर अतिकरंट एवं भूयोजन त्रुटि रिले मय तत्क्षण उच्च स्थिर तत्व को सम्मिलित करेंगे।
- 11.2.11 इस अनुच्छेद के उपरोक्त प्रावधानों की समीक्षा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ साथ वितरण संहिता समीक्षा दल (पैनल) द्वारा भी की जावेगी। इसमें किये जाने वाले संशोधन वितरण संहिता समीक्षा समूह के अनुमोदन पश्चात ही प्रभावशील होंगे तथा इसकी सूचना राज्य पारेषण इकाई तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भी दी जावेगी।
- टीप : इस "विद्युत वितरण संहिता" के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार

परिशिष्ट-1

उपयोगकर्ता/उपभोक्ता द्वारा 1 मेगावाट और अधिक मांगों हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले भार आंकड़े

सं. क्र.	वर्णन	विवरण
1	भार का प्रकार	(जानकारी दें : कि भार इस्पात पिघलाने वाले, रोलिंग मिलों के, कर्षण, अन्य औद्योगिक, पंपिंग आदि प्रकार के हैं)
2	अधिकतम मांग (केवीए में) तथा वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता केडब्ल्यूएच में	
3	अवधि वर्ष/वर्षों में जब तक पूर्ण/ आंशिक प्रदाय की आवश्यकता होगी	
4	भार की स्थिति	(उपयुक्त स्केल पर स्थल मानचित्र, उपभोक्ता श्रेणी/क्षमता, निकटतम रेलवे स्टेशन, राज्य पारिषद इकाई के निकटतम अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र के विवरण दर्शायें)
5	निर्धारित (रेटेड) वोल्टेज जिस पर प्रदाय अपेक्षित है	
6	प्रदाय का प्रकार	सामान्य/वैकल्पिक/समर्पित(डेडीकेटेड) (विवरण दर्शायें)

7	उपकरण का विवरण	मोटर प्रयोजन, अधिष्ठापनों की संख्या, वोल्टेज, किलोवाट रेटिंग, आरंभिक करंट, मोटरों का प्रकार, ड्राईव के प्रकार तथा नियंत्रण व्यवस्थाएं दर्शाये
		तापन (हीटिंग) प्रकार तथा किलोवाट रेटिंग
		फरनेस प्रकार, फरनेस ट्रांसफार्मर क्षमता तथा वोल्टेज अनुपात
		इलेक्ट्रोलिसिस प्रयोजन, केवीए क्षमता
		प्रकाश व्यवस्था किलोवाट मांग
8	शीर्ष मांग के समय, प्रदाय वोल्टेज तथा आवृत्ति के उतार-चढ़ाव के प्रति मांग की संवेदनशीलता	(विवरण दर्शाये)
	वोल्टेज संवेदनशीलता	मेगावाट / केवी एमवीएआर / केवी
	आवृत्ति संवेदनशीलता	मेगावाट / हर्डज एमवीएआर / हर्डज
9	प्रणाली पर अधिरोपित फेज असंतुलन अधिकतम (प्रतिशत) औसत (प्रतिशत)	
10	उच्चतम संगतता अधिरोपित मात्रा (मेक्सिमम हारमोनिक कांटेंट इम्पोस्ड) (प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित यंत्रों के विवरण प्रस्तुत करें। संगतता को दबाने हेतु प्रणाली में सम्मिलित यंत्रों के विवरण दर्शाये तथा प्रत्येक यंत्र द्वारा बिना फिल्टर विभिन्न क्रमों के संगतता करंट दर्शाये)	(विवरण दर्शाये)
11	ऐसे भारों के विवरण देवे जो संयोजन बिन्दु पर 10 मेगावाट से अधिक मांग उतार-चढ़ाव के साथ-साथ वोल्टेज गिरावटें (प्रतिशत में) जो पांच सेकंड की अवधि तक के अथवा उससे अधिक हेतु निमित्त करें।	(विवरण दर्शाये)

परिशिष्ट-2

इच्छुक उपयोगकर्ता/उपभोक्ता जिसकी अनुबंधित मांग 1 मेगावाट अथवा उससे अधिक हो को प्रणाली आंकड़े उपलब्ध कराये जाने विषयक
(अनुच्छेद 5.4.7 के संदर्भ में)

सरल क्र.	वर्णन	विवरण
1	मध्यप्रदेश राज्य का टोपोग्राफिकल मानचित्र जिसमें अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय क्षेत्र की सीमा दर्शायी गयी हो	एक प्रति में
2	वितरण प्रणाली का एकल रेखा मानचित्र, लाईन की लंबाई तथा कंडक्टर आकार, उपकेन्द्र क्षमता, कैपेसिटर आकार आदि दर्शाते हुए (जो प्रत्याशित	एक प्रति में

	उपभोक्ताओं से संबंधित कार्यक्षेत्र तक ही सीमित होंगे)	
3	5 एमवीए तथा उससे अधिक क्षमता के 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर सामान्य रिलेइंग तथा मापयंत्र व्यवस्थाएं	विवरण दर्शाये जावें
4	वितरण प्रणाली के साथ अंतर्संयोजन बिन्दु पर ग्रिड उपकेन्द्र के विवरण	निम्न प्रस्तुत करें : – एमवीए क्षमता एवं वोल्टेज – अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मरों के आकार, वोल्टेज अनुपात तथा टैप्स का विस्तार – अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बस तथा उच्च वोल्टेज बस पर फॉल्ट एमवीए, जैसा कि लागू हो – बस एम्पीडेंस – उपकेन्द्र न्यास की आवृत्ति
5	अंतर्संयोजन बिन्दु (ओं) से आहरण	निम्न प्रस्तुत करें : – प्रत्येक अंतर्संयोजन बिन्दु पर पारेषण प्रणाली अथवा किसी अन्य वितरण अनुज्ञापिधारी से पिछले छः माह में अधिकतम एवं न्यूनतम मेगावाट आहरण
6	लघु-परिपथ आंकड़ों का पोषण (शार्ट-सर्किट डाटा फीड)	उपभोक्ता के संयोजन बिन्दु पर तीन फेज एवं एकल फेज लघु-परिपथ स्तर
7	वैकल्पिक प्रदाय व्यवस्था की संभावना	प्रस्तुत करें : – सामान्य प्रदाय – किसी विभिन्न अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र से वैकल्पिक प्रदाय उपबंध

परिशिष्ट-3

अत्यावश्यक भार तथा उनकी पुर्नस्थापना में प्राथमिकता

प्राथमिकता	भार का प्रकार	उपकेन्द्र का नाम
1	खनन	
2	रेलवे (कर्षण)	
3	पत्तन (पोर्ट) एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक भार	
4	महत्वपूर्ण शहर	
5	अस्पताल, जलप्रदाय, टेलीविजन, रेडियो स्टेशन	
6	प्रसंस्करण उद्योग	
7	सैन्य संस्थापनाएं	
8	दूरसंचार एक्चेंज / स्टेशन	
9	पुलिस स्टेशन	
10	अग्निशमन स्टेशन	

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462016

क्रमांक-37 / मप्रविनिआ / 2006
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4.1.2006

उप नियंत्रक,
शासकीय मुद्रणालय,
भोपाल।

विषय:- विद्युत वितरण संहिता को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ग) में प्रकाशन बाबत्।

-0-

उपरोक्त विषय के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 (1) (आई), विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 9 (जे), वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कृत्यों के निर्वहन में तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता को मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के एक भाग के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। इस संहिता की हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिपिबद्ध

प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इसे मध्यप्रदेश राजपत्र साधारण भाग-4(ग) में यथाशीघ्र प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। इस संहिता की मुद्रित की गई 800 प्रतियों की आयोग को आवश्यकता है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(अशोक शर्मा)
उप सचिव